खण्ड–17, अंक–1
मंगलवार, 18 आश्विन, शक संवत् 1928
(10 अक्टूबर, 2006 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(द्वितीय सत्र, 2006)

(खण्ड 17 में 4 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2006

मूल्य:–

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के अनशन पर बैठने सम्बन्धी सूचना को श्री अजय भट्ट द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास	1–3
प्रश्नोत्तर	4–53
सत्र के चलते सदन के बाहर नीतिगत विषयों की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	53–56
श्री कांशीराम भूतपूर्व सांसद के निधन पर शोकोद्गार ...	56–59
उत्तर प्रदेश विधानसभा की माननीय सदस्य श्रीमती सरस्वती तिवारी के निधन पर शोकोद्गार	59–62
पिथौरागढ़ बस स्टेशन के निकट दि0 19–9–06 को अग्निकाण्ड से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना ...	63
रुद्रप्रयाग के पट्टी पूर्वी बांगर आदि में विद्युतीकरण न होने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना ...	63–64
पिथौरागढ़ के भुजगढ़ नदी पर तटबन्ध बनाने की कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना ...	64
जनपद पौड़ी के अन्तर्गत कांडी लक्ष्मणझूला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुरूप पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	64
एल0टी0 संवर्ग के विज्ञान विषय में कॉम्बिनेशन की अनिवार्यता के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना ...	65
जनपद देहरादून में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की अनियमित आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना ...	65
जनपद चमोली में कर्णप्रयाग वि0खं0 के अन्तर्गत ईडा–बधाणी, चौण्डली आदि गांवों को भूमि कटाव से खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना	66
उत्तरांचल गैर अल्प संख्यक अनानुदानित निजी व्यवसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अध्यादेश, 2006 (पटल पर रखा गया)	66

विषय	पृष्ठ संख्या
द्वितीय राज्य वित्त आयोग उत्तरांचल का प्रतिवेदन (2006–11) ...	66
पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 (अधिनियमित होने की घोषणा)	66
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (अधिनियमित होने की घोषणा)	67
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	67
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 2006 (अधिनियमित होने की घोषणा) ...	67
उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा विधेयक, 2006 (अधिनियमित होने की घोषणा)	67
उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2006 (अधिनियमित होने की घोषणा)...	68
उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2006 (अधिनियमित होने की घोषणा)	68
श्री काशी सिंह ऐरी, श्री नारायण सिंह जंतवाल एवं श्री पुष्पेश त्रिपाठी मा0 सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना ...	68
जनपद पिथौरागढ़ में काली विनायक पुरानाथल ताड़ीगांव मार्गों का स्पेशियल कम्पोनेंट प्लान के तहत डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	68
जनपद पौड़ी के ग्राम सभा बैरागढ़ वि0खं0 यमकेश्वर के इडिया गधेरा, कुत्यारत्न, काण्डवाल सेरा तोक में सिंचाई विभाग कोटद्वार द्वारा लघु सिंचाई से गूलों का निर्माण न किये जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)... ...	69
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) द्वारा संचालित परीक्षाओं को उत्तरांचल में मान्यता दिए जाने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	69
जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत दुर्गापुर पेयजल स्रोत के सुधारीकरण एवं विस्तारीकरण के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	69
जनपद नैनीताल के वि0खं0 भीमताल के अन्तर्गत पौराणिक स्थल छोटा कैलाश धार्मिक स्थल के विकास के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थापित)	69

विषय	पृष्ठ संख्या
कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश (स्वीकृत)... ...	70
श्री गगन सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा श्री संतोष कुमार शील, जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना	70–71
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	72–85
नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं	85

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. " अनिल नौटियाल
3. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्रीमती आशा देवी
6. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
7. श्री उम्मेद सिंह मांजिला
8. " काशी सिंह ऐरी
9. " कैलाश शर्मा
10. " कौल दास
11. " गगन सिंह
12. " गणेश प्रसाद गोदियाल
13. " गोपाल सिंह
14. " गोबिन्द लाल
15. " गोबिन्द सिंह कुंजवाल
16. " चन्द्रशेखर
17. " जोत सिंह
18. " तसलीम अहमद
19. " तिलक राज बेहड़
20. " तेजपाल सिंह रावत
21. " दिनेश अग्रवाल
22. " नरेन्द्र सिंह भण्डारी
23. " नव प्रभात
24. " नारायण पाल
25. " नारायण राम आर्य
26. " नारायण सिंह जंतवाल
27. काजी निजामुद्दीन
28. श्री प्रकाश पंत
29. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
30. डा0 प्रताप बिष्ट
31. श्री प्रदीप टम्टा
32. श्री प्रीतम सिंह
33. " प्रीतम सिंह पंवार
34. " प्रेमानन्द महाजन
35. " पुष्पेश त्रिपाठी
36. " फूल सिंह बिष्ट
37. " बलवीर सिंह नेगी
38. " विजयपाल सिंह सजवाण
39. " विशन सिंह चुफाल
40. " भगत सिंह कोश्यारी
41. " मदन कौशिक
42. " मंत्री प्रसाद नैथानी
43. " महेन्द्र भट्ट
44. " महेन्द्र सिंह माहरा (महू भाई)
45. " मातबर सिंह
46. " माल चन्द्र
47. चौ0 यशवीर सिंह
48. श्री रणजीत सिंह
49. " राम प्रसाद टम्टा
50. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
51. श्री शूरवीर सिंह
52. " सहजाद
53. " साधू राम
54. " सुबोध उनियाल
55. " सुन्दर लाल मन्द्रवाल
56. " सुरेश चंद
57. " हरबंस कपूर
58. " हरभजन सिंह चीमा
59. " हरीदास
60. " हरीश चन्द्र दुर्गापाल
61. " हीरा सिंह बिष्ट
62. " त्रिवेन्द्र सिंह रावत

मंगलवार, दिनाँक 10 अक्टूबर, 2006 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे पूर्वाह्न में अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

श्री अध्यक्ष–

आज की कार्यवाही "वन्दे मातरम्" से प्रारम्भ की जाती है।

वन्दे मातरम्

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

सुजलाम् ।

सुफलाम् ।

मलयज शीतलाम् ।

शस्य श्यामलाम् ।

मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(भारतीय जनता पार्टी के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य)

भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के अनशन पर बैठने सम्बन्धी सूचना को श्री अजय भट्ट स0वि0स0 द्वारा नियम 310 के अन्तर्गत उठाने का प्रयास

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, हमने 310 में एक सूचना दी है। हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी अनशन पर बैठे हैं यह बहुत ही दुःखदायी स्थिति है। मान्यवर, इसे 310 में स्वीकार

किया जाये। इस पर सदन की आज की पूरी कार्यवाही को स्थगित कर चर्चा कराई जाये।

श्री अध्यक्ष–

मैं इसे 310 में स्वीकार नहीं कर रहा हूँ, इसे प्रश्नकाल के बाद सुन लेंगे।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अनशन पर बैठे हैं इससे गम्भीर विषय और क्या हो सकता है? सरकार गरीबों की भूमि का अधिग्रहण करने जा रही है और उनको बेघर कर रही है। इसे 310 में सुना जाय, मेरी आपसे प्रार्थना है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल के बाद सुन लेंगे।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन से जुड़ा प्रश्न है कि हमारे एक सम्मानित सदस्य ने त्याग–पत्र दे दिया है। मान्यवर, माननीय सदस्य द्वारा किन कारणों से इस्तीफा दिया गया। यह स्पष्ट होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, सदन के सामने यह विषय आना चाहिए कि उन्होंने किन कारणों से इस्तीफा दिया?

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, यह गम्भीर विषय है, इसमें स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए, उन्होंने क्यों इस्तीफा दिया?

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, उन्होंने इस्तीफा दिया है या नहीं, हम यह जानना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह बहुत ही खराब स्थिति है क्योंकि माननीय सदस्य आज सदन में उपस्थित भी नहीं हैं, इसका मतलब है कि कुछ न कुछ बात है।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, इसमें आप व्यवस्था दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष–

यह मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। कृपया बैठ जायें।

श्री गगन सिंह–

मान्यवर, दिनांक 21–9–2006 को मैं अपने क्षेत्र में शिक्षा की समस्याओं को लेकर (व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

स्वर्ग आश्रम, ऋषिकेश को जोड़ने वाले क्षतिग्रस्त राम झूला पुल की मरम्मत

*1. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि स्वर्ग आश्रम, ऋषिकेश को जोड़ने वाला राम झूला पुल अत्यन्त क्षतिग्रस्त है?

क्या यह सत्य है कि इस पुल से लाखों यात्री प्रतिदिन आर–पार जाते हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस झूला पुल की मरम्मत यथाशीघ्र करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या सरकार उक्त स्थान पर मोटर पुल भी बनायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

जी हाँ, आंशिक रूप से।

जी हाँ। केवल विशिष्ट अवसरों पर।

जी हाँ।

शीघ्रताशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि अपस्ट्रीम में गरूड़चट्टी के पास मोटरसेतु बनाया जा रहा है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहती हूँ कि स्वर्गाश्रम में जो राम झूला पुल है वह बहुत महत्वपूर्ण है। साल में 10–15 ऐसे अवसर आते हैं जबकि वहां पर बहुत अधिक भीड़

हो जाती है। यह पुल जीर्ण–शीर्ण हो चुका है। इससे स्वर्गाश्रम के लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, उनके आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगी कि इस पुल की जगह कोई अन्य पुल या पैदल पुल, झूला पुल बनवायेंगी या इसको ही रिपेयर करायेंगी। क्या इसके लिए बजट स्वीकृत किया जा रहा है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यह सही है कि राम झूला पुल अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें कुम्भ, अर्ध–कुम्भ, श्रावण मेला और गंगा स्नान के समय 25 से 50 हजार तक की भीड़ हो जाती है। दो वर्ष में इसके क्षतिग्रस्त होने का आगणन लिया गया है। इसमें आई0आई0टी0, रुड़की के एक्सपर्ट की रिपोर्ट मांगी गयी है। इसके आधार पर लगातार रिपेयरिंग का काम हो रहा है। भीड़ के समय विंड सस्पेंड टूट जाते हैं। इसके लिए रु0 6.5 लाख स्वीकृत किये गये हैं जिससे इसे रिप्लेस किया जा सके। इसमें दोपहिया वाहनों के चलने पर रोक लगा दी गयी थी, लेकिन क्षेत्रीय जनता की आवश्यकता को समझते हुए यह तय किया गया कि वह एक सवारी के साथ आ–जा सकते हैं। श्री एस0के0 अग्रवाल, सेवानिवृत्त प्रोफेसर की इसमें सेवा ली जा रही है, उन्हीं की राय पर रु0 6.16 लाख का आगणन स्वीकार किया गया है। हम विंड सस्पेंड को बदल रहे हैं। भारी भीड़ के दबाव को देखते हुए इसके लिए अलग से रु0 4.5 करोड़ का एक झूला पुल स्वीकृत किया गया है। ताकि यह वन–वे हो सके और इस पर भीड़ का ज्यादा दबाव न रहे।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, जो वहां पर व्यापारी हैं जो सामान लेकर इसी पुल से ऋषिकेश आते–जाते हैं। उनको सामान सहित आने–जाने की अनुमति मिलनी चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, इसे बहुत भीड़ में बन्द कर दिया गया था और उनकी मांग के आधार पर इसमें बोझ को कम कर दिया गया और एक व्यक्ति के साथ वे अपना सामान ला सकते हैं। इसके लिए अनुमति दे दी गयी है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूँ। इसके सेकेंड पैरा में पूछा गया था कि क्या यह सत्य है कि इस पुल से लाखों यात्री प्रतिदिन आर–पार जाते हैं? तथा उत्तर में सरकार की तरफ से आया है कि "जी हाँ। केवल विशिष्ट अवसरों पर।" जैसा कि हम सब लोगों की जानकारी में है कि यहां पर पूरे देश के हजारों लोग एवं श्रद्धालु हर वर्ष आते हैं तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि विशिष्ट अवसरों का क्या अर्थ है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अजय भट्ट जी, आप तो बहुत विद्वान सदस्य हैं। यहां पर विशिष्ट अवसरों का प्रयोग उस समय के लिए किया गया है जब लाखों लोग इस पुल से गुजरते हैं। वह अवसर हैं गंगा स्नान, कांवड़ यात्रा, अर्द्ध कुम्भ तथा कुम्भ। इन अवसरों पर इस पुल पर काफी दबाव हो जाता है वैसे तो सामान्य रूप से यहां से 30–35 हजार लोग ही गुजरते हैं।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि 30 से 35 हजार की भीड़ इस पुल पर सामान्यतः होती है। तो क्या इतने महत्वपूर्ण पुल को इतने ज्यादा बोझ से खतरा नहीं है?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, वहां पर एक ही पुल है, इसलिए उस पर दबाव बढ़ा है। इसीलिए तो दूसरा पुल स्वीकृत किया गया है। वैसे कुम्भ, अर्द्ध कुम्भ, कांवड़ तथा गंगा स्नान के दौरान ही वहां पर भीड़ का दबाव ज्यादा होता है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इस पुल की मरम्मत कब तक कर दी जायेगी और नये पुल का निर्माण कब तक शुरू करा दिया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, पुल की मरम्मत एवं नये पुल के निर्माण के लिए धनराशि दे दी गई है।

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहती हूँ कि यह कार्य कब तक शुरू हो जायेंगे?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ हो जायेंगे।

*2. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।

देहरादून शहर में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु कार्य योजना

*3. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून शहर में ध्वनि प्रदूषण का क्या स्तर है तथा ध्वनि प्रदूषण को कितने डेसीबल नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते स्तर को नियंत्रित करने के लिये सरकार द्वारा कोई कार्य योजना बनायी गयी है?

यदि हाँ, तो वह कब प्रारम्भ होगी तथा कार्य योजना का स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

वन एवं पर्यावरण मंत्री (नव प्रभात)–

उत्तरांचल पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा माह सितम्बर, 2006 में, देहरादून शहर में विभिन्न स्थानों पर किए गये ध्वनि अनुश्रवण में ध्वनि का औसत स्तर निम्नानुसार, जो कि निर्धारित मानक से अधिक है, पाया गया है:–

स्थान	ध्वनि का औसत स्तर (डेसीबल)	मानक स्तर (डेसीबल)
1. रेसकोर्स (आवासीय क्षेत्र)	57.21	55
2. नेहरू कालोनी (आवासीय क्षेत्र)	66.04	55
3. दून हास्पिटल (शांत क्षेत्र)	63.02	50
4. गांधी पार्क (पार्क क्षेत्र)	63.08	50
5. घंटाघर (व्यवसायिक क्षेत्र)	86.04	65
6. प्रिंस चौक –तदैव–	79.00	65
7. आराघर चौक –तदैव–	75.04	65

ध्वनि प्रदूषण को ऊपर वर्णित मानक स्तर तक नियंत्रित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन बने ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम–2000 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु वांछित कार्यवाही की जा रही है।

जी नहीं,

प्रश्न नहीं उठता है।

ध्वनि प्रदूषण विनियमन एवं नियंत्रण नियम–2000 के प्राविधानों के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा ध्वनि तीव्रता का अनुश्रवण किया जाता है, ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी व पुलिस विभाग के द्वारा वांछित कार्यवाही की जाती है, देहरादून शहर में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु जिला प्रशासन व पुलिस विभाग द्वारा समय–समय पर वैधानिक कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्देश जारी करते हुए

वैडिंग प्वाईंट एवं होटलों में रात्रि 10.00 बजे के पश्चात् तथा धार्मिक स्थलों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे के मध्य लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबन्धित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है, वर्तमान वर्ष में प्रेशर हार्न, टेपरिकार्डर बजाने, देर रात्रि तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करने के 98 मामलों में ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन हेतु कार्यवाही की गयी है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, सरकार ने माना कि देहरादून शहर में जो ध्वनि प्रदूषण का औसत स्तर निर्धारित मानकों से अधिक है। यह रिपोर्ट माह सितम्बर, 2006 की है तो क्या समय–समय पर इसकी जांच कराई जाती है और इस प्रदूषण को रोकने के लिए क्या–क्या उपाय किये गये हैं और किन–किन केन्द्रों पर इसकी जांच चल रही है? दूसरा अभी कुल कितने मामले हैं जो चिन्हित किये गये हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, अभी तक कुल 98 मामले ऐसे आये हैं, यह हमारी सामयिक जांच होती है जो कि हर दूसरे एवं तीसरे माह में कराई जाती है। जिन स्थानों पर ट्रैफिक दबाव ज्यादा रहता है वहां पर यह जांच कराई जाती है। माननीय सदस्य यदि किन्हीं स्थानों का जिक्र करें तो वहां पर भी यह जांच कराई जा सकती है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हर 3 महीने में एक बार जांच होती है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या औसत मानक प्रति 3 माह में घटते–बढ़ते हैं? क्या यह सिर्फ दिसम्बर माह में ही बढ़ा है या धीरे–धीरे बढ़ रहा है? कृपया इसकी स्थिति स्पष्ट कर दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मानक तो वही है लेकिन ध्वनि प्रदूषण का औसत धीरे–धीरे बढ़ रहा है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इसको रोकने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं और मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि हमारे विधान सभा तथा सचिवालय के आसपास ध्वनि प्रदूषण की स्थिति क्या है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आराघर चौक के पास ध्वनि का मानक स्तर 65 डेसीबल है और वहां पर प्रदूषण 75.04 डेसीबल है।

श्री हरभजन सिंह चीमा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो सरकारी और गैर सरकारी वाहन हैं, उनमें जो ध्वनि संयंत्र लगाये गये हैं, क्या उनका डेसीबल चैक किया गया है? यदि चैक किया गया है, तो वह कितना है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसकी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का अभी स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। ध्वनि प्रदूषण ज्यादा होने के कौन–कौन से कारक हैं? इसका जवाब नहीं आया है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वैडिंग हॉल, होटल, धार्मिक स्थल, इंडस्ट्रियल एरिया, रेजीडेंसियल एरिया में रात्रि 10 बजे बाद लाउडस्पीकर प्रतिबंधित किये गये हैं। कुछ क्षेत्र शांत क्षेत्र घोषित किये गये हैं। अस्पतालों के आस–पास हार्न बजाना मना है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा समय–समय पर इसके सम्बन्ध में आदेश जारी किये जाते हैं कि किन–किन चीजों को प्रतिबंधित करने जा रहे हैं। सामान्य कारों के चलने से भी प्रदूषण के मानक बढ़े हैं। बढ़ते हुए यातायात के कारण भी ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, हमारे यहां जो फर्जी हूटर बजाए जा रहे हैं, इनके द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण बढ़ रहा है। क्या उनको रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रयास किया जा रहा है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हूटरों के द्वारा ही नहीं सामान्य कारों के हार्न के कारण भी ध्वनि प्रदूषण बढ़ा है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, क्या इन फर्जी हूटरों को बजाने से रोकने की कोई व्यवस्था की जाएगी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सुरक्षा कारणों के अलावा हूटर बजाने पर रोक लगायी जाएगी।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि दून अस्पताल शांत क्षेत्र में आता है लेकिन वहां पर मानक स्तर 50 डेसीबल होने के बाद भी ध्वनि प्रदूषण 63.02 डेसीबल है। इस प्रकार स्पष्ट है कि शांत क्षेत्र में मानक बहुत अधिक बढ़े हुए हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या अस्पताल के आस–पास ध्वनि का औसत स्तर कम करने के लिए कोई विशेष उपाय सरकार द्वारा किये जायेंगे?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, ऐसे स्थानों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, सामान्य श्रेणी के प्रदूषणों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण रोकने की जिम्मेदारी आपकी तरफ से जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान को सौंपी गयी है। इस प्रकार यह जिम्मेदारी जिला प्रशासन के पास है। मान्यवर, आज हमारी अस्थाई राजधानी क्षेत्र में तथा अन्य क्षेत्रों में भी प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक बढ़ गया है, यह एक चिन्तनीय विषय है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई स्वचालित व्यवस्था की जाएगी? जिससे कि ऑटोमैटिकली इसकी जांच भी हो और दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही भी हो। क्या माननीय मंत्री जी ऐसी कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जहाँ तक ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण का प्रश्न है तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण का कार्य करता है। मान्यवर, कहाँ पर कोई आदमी ध्वनि प्रदूषण पैदा कर दे इसके नियंत्रण के लिए कोई मशीन नहीं होती है। इसलिए स्थानीय प्रशासन के सहयोग से ही ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण का कार्य किया जा सकता है।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में उल्लिखित किया है कि ध्वनि प्रदूषण नियमों का उल्लंघन करने के कारण 98 मामलों में ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन हेतु कार्यवाही की गई है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि किस प्रकार की कार्यवाही की गई है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसमें दण्डित करने की व्यवस्था है, इसमें जुर्माने का प्रावधान है। यह 98 प्रकरण है जिनमें कार्यवाही की गई है। इस वक्त मेरे पास पूर्ण विवरण नहीं है। मैं इसे माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूँगा।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, एक–दो प्रकरणों की जानकारी दे दें।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कार्यवाही विवरण अलग–अलग सालों से सम्बन्धित हैं। मैं इसका विवरण उपलब्ध करा दूँगा।

श्री अध्यक्ष–

आप पूरा विवरण माननीय सदस्य को बाद में उपलब्ध करा दें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सरकार हमको गुमराह कर रही है। जो ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है उसको नियंत्रित करने के लिए सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यह उत्तर भ्रमित करने के लिए दिया जा रहा है।

राज्य में अप्रैल, 2002 से अब तक सघन वन क्षेत्र की स्थिति तथा संरक्षण के उपाय

*4. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में अप्रैल, 2002 में कुल कितना सघन वन क्षेत्र था तथा वर्तमान में कुल कितना सघन वन क्षेत्र शेष है?

तेजी से घटते वन क्षेत्र के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

क्या सरकार बतायेगी कि उत्तरांचल के किस जनपद अथवा वन प्रभाग में इन पांच वर्षों में सबसे अधिक वन क्षेत्र घटा है और वन क्षेत्र घटने के क्या प्रमुख कारण रहे हैं?

सरकार द्वारा इस दिशा में क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

भारतीय वन सर्वेक्षण (भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) द्वारा जारी वन स्थिति रिपोर्ट 2003 के अनुसार उत्तरांचल में वर्ष 2001 में कुल वनावरण क्षेत्रफल 23,938 वर्ग कि0मी0 था जिसमें सघन वनों का क्षेत्रफल 19,023 व खुले वनों का क्षेत्रफल 4,915 वर्ग कि0मी0 था। वर्ष 2003 में कुल वनावरण क्षेत्रफल 24,465 वर्ग कि0मी0 था जिसमें से सघन वनों का क्षेत्रफल 18,422 व खुले वनों का क्षेत्रफल 6,043 वर्ग कि0मी0 था। उक्त सर्वेक्षण के अनुसार वर्ष 2001 एवं 2003 के मध्य कुल वनावरण क्षेत्रफल में 527 वर्ग कि0मी0 की वृद्धि हुई है।

विगत पांच वर्षों में उत्तरांचल में सकल वन आवरण में वृद्धि हुई है। वनों के संरक्षण तथा सघन वन क्षेत्र में वृद्धि हेतु वृक्षारोपण, सहायतित प्राकृतिक पुनर्जनन (ए0एन0आर0) एवं अन्य सिल्विकल्चरल उपाय अपनाए जा रहे हैं।

भारतीय वन सर्वेक्षण 1999 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तरांचल में तत्समय उत्तरांचल के 9 जिलों (जिनमें नये बने 4 जिलों की सूचना भी सम्मिलित की गयी थी) का कुल वनाच्छादित क्षेत्रफल 23,260 वर्ग कि0मी0 (जिसमें सघन वनों का क्षेत्रफल 17,849 व खुले वन 5,411 वर्ग कि0मी0) था। वर्ष 2003 की रिपोर्ट के अनुसार नव सृजित जिलों को सम्मिलित करते हुए कुल वनावरण क्षेत्रफल 24,465 वर्ग कि0मी0 हो गया है। इस प्रकार 1999 एवं 2003 की रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में कुल वनावरण क्षेत्रफल में 1,205 वर्ग कि0मी0 की वृद्धि हुई है। उक्तानुसार विगत पांच वर्षों में राज्य के किसी भी जनपद में वन क्षेत्र घटा नहीं है अपितु वृद्धि हुई है।

विगत पांच वर्षों में उत्तरांचल में सकल वन आवरण में वृद्धि हुई है। वनों के संरक्षण तथा सघन वन क्षेत्र में वृद्धि हेतु वृक्षारोपण, सहायतित प्राकृतिक पुनर्जनन (ए0एन0आर0) एवं अन्य सिल्विकल्चरल उपाय अपनाए जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि वन क्षेत्र बढ़ा है। जबकि मेरा प्रश्न सघन वन क्षेत्र से सम्बन्धित है। आपके द्वारा कहा गया है कि 2001 में कुल वनावरण क्षेत्रफल 23,938 वर्ग कि0मी0 था। जिसमें सघन वनों का क्षेत्रफल 19,023 कि0मी0 था और वर्ष 2003 में कुल वनावरण क्षेत्रफल 24,465 वर्ग कि0मी0 था जिसमें से सघन वनों का क्षेत्रफल 18,422 कहा गया है। इस प्रकार 601 वर्ग कि0मी0 का क्षेत्र घटा है। साथ ही आपने अपने उत्तर में 9 जनपदों का उल्लेख किया है ये 9 जनपद कौन–कौन से हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जनपद अल्मोड़ा में वर्ष 1999 में सघन वन 2071 वर्ग किलो मी0, खुले वन 466 वर्ग किलो मी0 क्षेत्र था और वर्ष 2003 में सघन वन 1137 वर्ग किलो मी0, खुले वन 440 वर्ग किलो मी0 क्षेत्र है। बागेश्वर जनपद में वर्ष 2003 में सघन वन 1034 वर्ग किलो मी0, खुले वन 346 वर्ग किलो मी0 है। पिथौरागढ़ में वर्ष 1999 में सघन वन 2188 वर्ग किलो मी0, खुले वन 649 वर्ग किलो मी0 है। वर्ष 2003 में सघन वन 1699 वर्ग किलो मी0, खुले वन 378 वर्ग किलो मी0 हैं। चम्पावत में वर्ष 2003 में सघन वन 932 वर्ग किलो मी0 है, खुले वन 230 वर्ग किलो मी0 है। जनपद नैनीताल में वर्ष 1999 में सघन वन 2920 वर्ग किलो मी0 है, खुले वन 649 वर्ग किलो मी0 है। वर्ष 2003 में 2492 वर्ग किलो मी0 है, खुले वन 602 वर्ग किलो मी0 है। जनपद ऊधमसिंह नगर में वर्ष 2003 में सघन वन 400 वर्ग किलो मी0 है, खुले वन 177 वर्ग किलो मी0 है। जनपद देहरादून में वर्ष 1999 में सघन वन 1239 वर्ग किलो

मी0 है, खुले वन 331 वर्ग किलो मी0 है। वर्ष 2003 में सघन वन 1151 वर्ग किलो मी0 है, खुले वन 442 वर्ग किलो मी0 है। जनपद हरिद्वार में सघन वन 265 वर्ग किलो मी0 है, खुले वन 320 वर्ग किलो मी0 है। वर्ष 2003 में सघन वन 362 वर्ग किलो मी0 है, खुले वन 272 वर्ग किलो मी0 है। जनपद उत्तरकाशी में वर्ष 1999 में 2631 वर्ग किलो मी0 है, खुले वन 468 वर्ग किलो मी0 है। वर्ष 2003 में सघन वन 2470 वर्ग किलो मी0 है, खुले वन 674 वर्ग किलो मी0 है। जनपद चमोली में वर्ष 1999 में सघन वन 2530 वर्ग किलो मी0 है, खुले वन 622 वर्ग किलो मी0 है। वर्ष 2003 में सघन वन 1964 वर्ग किलो मी0 है, खुले वन 734 वर्ग किलो मी0 है। पौड़ी गढ़वाल में वर्ष 1999 में सघन वन 2198 वर्ग किलो मी0 है, खुले वन 978 वर्ग किलो मी0 है। वर्ष 2003 में सघन वन 2515 वर्ग किलो मी0 है, खुले वन 756 वर्ग किलो मी0 है। जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 1999 में सघन वन 1807 वर्ग किलो मी0 है, खुले वन 753 वर्ग किलो मी0 है। वर्ष 2003 में सघन वन 1482 वर्ग किलो मी0 है, खुले वन 656 वर्ग किलो मी0 है। जनपद रुद्रप्रयाग में वर्ष 2003 में सघन वन 784 वर्ग किलो मी0 है, खुले वन 336 वर्ग किलो मी0 है। मान्यवर, इस तरह से पूरे जिलों को देखा जाय तो वर्ष 1999 का सघन क्षेत्र 17849 वर्ग किलो मी0 है, जबकि वर्ष 2003 में यह क्षेत्र 18422 वर्ग किलो मी0 है।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, कहीं पर वन क्षेत्र घटा है और कहीं पर बढ़ा है, तो इसमें कमी आने के क्या कारण थे?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, तीन कारणों से विशेष कमी आती है, जिसमें प्रमुख कारण है कि पर्वतीय क्षेत्र में जो वन एक हजार मी0 से ऊपर हैं, उन पर पातन पर रोक है, लेकिन जो नैसर्गिक पातन है जैसे तूफान, या अधिक उम्र के कारण पेड़ गिर रहे हैं उनके विपरीत जो कोई शिल्पी कल्चर आपरेशन नहीं हो पा रहा है तो इस तरीके के परिवर्तन पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। तराई क्षेत्र में जो सबसे विशेष चीज है कि हम जहां पर यूकेलिप्टस और पापुलर का प्लांटेशन करते हैं उनकी हम कामर्शियल फेलिंग करते हैं। अगर कोई प्लांटेशन मैच्योर हो जाता है एक बहुत बड़े इलाके में एक ही साथ कामर्शियल फेलिंग हो जाती है और एफ0आई0सी0 की रिपोर्ट में सघन वन क्षेत्र, खुले वन क्षेत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। मान्यवर, तीसरा महत्वपूर्ण कारण है 8755 हे0 भूमि विभिन्न योजनाओं के लिए, जैसे सरकारी है या और कोई अन्य निर्माण कार्य हैं इसके लिए स्थानान्तरित हुई है। ये भूमि हस्तानान्तरण विशेष रूप से उन इलाकों में हुई है जहां बहुत सघन वन क्षेत्र हैं। वर्तमान में इन वन क्षेत्रों में भी यह दशा दिखायी दे रही है, जिसको कि वृक्षारोपण का प्राविधान करके पूरा कर लिया जायेगा।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, चीड़ के वृक्ष से खोब विधि से जो लीसा दोहन होता है, उससे पेड़ सूख रहे हैं, इसको रोकने के क्या उपाय किये गये हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, चीड़ के वृक्ष से लीसा निकालने की पद्धति में व्यापक परिवर्तन किये गये हैं, अब यह नई पद्धति से निकाला जाता है।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि जो विकास कार्य हो रहे हैं और जो वन भूमि अधिग्रहीत की जा रही है वह सघन वन क्षेत्र के कटान का कारण है। मान्यवर, जिन क्षेत्रों के आस–पास आप मुआवजे के रूप में जो धनराशि देते हैं क्या उस धनराशि का सदुपयोग पुनः वनीकरण में किया जाता है? अगर नहीं किया जाता है तो जहाँ पर पुनः वनीकरण किया गया है और जो विकास का कार्य किया गया है माननीय सदस्यों को उसके कुछ उदाहरण उपलब्ध करा सकते हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, कम्पनसेशन का पैसा दिया जाता है और इसकी योजना भी भारत सरकार की प्रत्येक योजना के साथ सम्मिलित की जाती है। मान्यवर, माननीय सदस्यों की जानकारी में है कि 15 सौ योजनाओं की स्वीकृति जारी कर चुके हैं। सघन वन क्षेत्र में उसका प्रभाव दिखाई देता रहेगा क्योंकि जो आज प्लांटेशन हो रहा है वह 14–15 साल के बाद ही जंगलों में दिखाई देगा। मान्यवर, यह प्रभाव निश्चित रूप से दिखता रहेगा।

श्री मालचन्द्र–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि सघन वन में कमी आ रही है, आपने उत्तरकाशी का जिक्र किया। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो पर्यटन की दृष्टि से अच्छे हैं, जैसे केदारकाँटा है वहाँ है जहाँ पर लैंड्स स्लाइड होता है तो क्या आपकी कोई ऐसी योजना है जहाँ पर लैंड्स स्लाइड होता है वहाँ पर रोक लगा सकें या कोई वनीकरण की व्यवस्था है, क्या आप ऐसा कुछ करने वाले हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, बड़े भू–स्खलन की दृष्टि से जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उसका सर्वेक्षण कराया गया है, निश्चित रूप से उसके लिए कोई योजना हम करेंगे।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 8755 हेक्टेयर भूमि विकास कार्यों के लिए चली गई, इसलिए सघन क्षेत्र में कमी आई, यह ठीक है और माननीय मंत्री जी

ने कहा कि प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण भी किया जाता है इसमें भी यही है तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण कर दिया तो सघन क्षेत्र में कमी क्यों आई और मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह व्यवस्था पूरे भारत में है या उत्तरांचल में ही है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह हम अपनी सीमाओं में ही करते हैं और जहाँ ज्यादातर पातन होता है वहाँ करते हैं। मान्यवर, सघन वन 4–5 साल में तैयार नहीं होता है एफ0एस0आई0 के सर्वे में है कि जो वृक्षारोपण 2 साल पहले करेंगे वह काफी बाद में हमें दिखाई देगा और जहाँ सघन वन के क्षेत्र में कमी होती है वहाँ विरल वन हो जाता है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, पिछले 5 सालों में कितने वृक्षारोपण किये हैं और उसका रिजल्ट क्या है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसकी सूचना हम दे देंगे।

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, उत्तरांचल में एक तो वृक्षारोपण के माध्यम से वनों का निर्माण कर रहे हैं। एक प्राकृतिक वन हैं।

मान्यवर, क्या सरकार जो प्राकृतिक वन हैं और जो वृक्षारोपण के हैं उन्हें अलग–अलग निर्धारण करने पर विचार कर रही है। जहाँ प्राकृतिक वन नहीं हैं वहाँ पर वृक्षारोपण अलग से दिखाई दे, इसकी कोई व्यवस्था सरकार कर रही है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पिछले सत्र में हमने अपने वृक्षारोपण की नीति के बारे में बताया। हमारा उत्तरांचल राज्य नया बना है जहाँ वृक्षारोपण विधिवत् रूप से किया है। हम वृक्षारोपण के लिए हर वन प्रभाग में लैण्ड चिन्हित कर रहे हैं जिससे कि वृक्षारोपण वैज्ञानिक हो सके।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, एक महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाता है, फारेस्ट डिपार्टमेंट उसका पैसा ले रहा है। फारेस्ट डिपार्टमेंट प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण नहीं कर रहा है इसमें बहुत सा पैसा पी0डब्ल्यू0डी0 देता है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि अब तक कितनी प्रतिपूर्ति की गई है। इसका उत्तर सदन में उपलब्ध करा देंगे या सदस्यों को उपलब्ध करा देंगे।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसकी सूचना परसों उपलब्ध करा देंगे।

देहरादून शहर अन्तर्गत रिस्पना नदी के किनारों का सौन्दर्यीकरण

*5. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून शहर के अन्तर्गत रिस्पना नदी के दोनों तरफ सौन्दर्यीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

श्री नव प्रभात–

सिंचाई विभाग द्वारा रिस्पना नदी के पुनर्जीवन हेतु एक प्रस्तुतीकरण किया गया, जो विचाराधीन है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से मैंने प्रश्न किया है कि क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून शहर के अन्तर्गत रिस्पना नदी के दोनों तरफ सौन्दर्यीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? माननीय मंत्री जी ने बड़ी चतुराई से उत्तर दिया कि सिंचाई विभाग द्वारा रिस्पना नदी के पुनर्जीवन हेतु एक प्रस्तुतीकरण किया गया, जो विचाराधीन है। मान्यवर, मैंने सौन्दर्यीकरण के बारे में पूछा है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, रिस्पना नदी के दोनों तरफ का प्रश्न है तो मेरा जवाब है–

जी नहीं।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, यह विषय सिंचाई विभाग का है तो क्या माननीय मंत्री जी सिंचाई विभाग की ओर से उत्तर दे रहे हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं सरकार की तरफ से उत्तर दे रहा हूँ।

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, पूछा गया है कि सौन्दर्यीकरण की कोई सरकार की योजना है। इसका एकदम सीधा उत्तर आना चाहिए। सरकार सौन्दर्यीकरण के बारे में योजना बना रही है या नहीं बना रही है आपने पुनर्जीवन की बात कही। इसका सीधा उत्तर दीजिए कि सौन्दर्यीकरण की योजना है या नहीं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, उत्तर ज्यादा स्पष्ट है। इसका हमारे सामने प्रस्तुतीकरण आया है। जहां तक आपने दोनों तरफ सौन्दर्यीकरण की बात कही उसका जवाब दिया–

जी नहीं।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा सौन्दर्यीकरण की कोई योजना नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि जब आपकी कोई योजना नहीं है तो शहर में बड़ा शोरगुल हुआ कि रिस्पना नदी के दोनों तरफ लाखों परिवार रहते हैं। सरकार उनको उजाड़ने जा रही है।

मान्यवर, कि सरकार हमको उजाड़ने जा रही है। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि भविष्य में रिस्पना नदी के दोनों तरफ जो आबादी रह रही है, विधानसभा से इन्द्रपुरी तक, इन लोगों को हटाने की कोई योजना है? क्या सरकार इस बात का जवाब देगी कि ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, इनको हटाया नहीं जायेगा।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जी नहीं, कह तो दिया। (व्यवधान) भविष्य में क्या होगा, इसकी चिन्ता मैं कैसे कर सकता हूँ। माननीय सदस्य को यह भी जानकारी होगी कि वह शोरगुल किसने मचवाया था।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहता हूँ जो दिनांक 29–8–2006 को मंथन सभागार में दिया गया था। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे। स्टीयरिंग कमेटी का मैं भी सदस्य हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी इसके उपाध्यक्ष हैं, माननीय सांसद इसके सदस्य हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि जो सी0डी0पी0 तैयार हुई हैं, जिसका बजट भी रु0 6560.04 करोड़ है। मैं सिर्फ देहरादून की बात कर रहा हूँ। यहां किसका प्रस्तुतीकरण किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि यह क्यों किया गया है। इसमें पाँच घंटे बिना खिलाये बैठाये रखा और बैठक भी बेनतीजा रही।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आप जो जिक्र कर रहे हैं वह जवाहर लाल नेहरू अरबन डेवलपमेंट की योजना है। इस बात के लिए मैं जरूर क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने उस दिन आपको भोजन नहीं कराया। मैं आपको निश्चित ही भोजन कराऊँगा, लेकिन नमक थोड़ा ज्यादा होगा। इसमें फ्लाई ओवर पर विचार किया गया था। हमारे पास बिन्दाल और रिस्पना दो ऐसी नदियां हैं, जिनमें फ्लाई ओवर बनाकर ट्रैफिक का बोझ कम किया जा सकता है। जो सी0डी0पी0 का प्रस्तुतीकरण किया गया था उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसके पढ़ने के लिए काफी समय चाहिए। हम इसकी शार्ट समरी बनवा रहे हैं यह कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं है, अभी अन्तरिम रिपोर्ट तैयार हुई है। हमने आप ही लोगों के साथ बैठकर,

नगर निगम के सभासदों के साथ बैठकर तीन जनपदों हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून के सम्बन्ध में योजना बनायी है। दोनों मण्डलों के आयुक्तों ने भी इस रिपोर्ट को देखने की इच्छा व्यक्त की है। इस सी0डी0पी0 के द्वारा अगले 20 वर्ष तक की समस्याओं का समाधान हो सकेगा। यह पूरी हजार पन्नों की रिपोर्ट है, हम इसकी शार्ट समरी बनवा रहे हैं। किसी भी बस्ती को उजाड़ने की इसमें कोई भी योजना नहीं है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान पुनः मूल प्रश्न की ओर आकृष्ट करते हुये जानना चाहूँगा और वहीं माननीय सदस्य ने भी पूछा है कि "क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून शहर के अन्तर्गत रिस्पना नदी के दोनों तरफ सौन्दर्यीकरण की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?" यह जो सी0टी0बी0 की बात की गई वह अलग है, जैसा कि माननीय कोश्यारी जी ने भी कहा कि यह उत्तर स्पष्ट रूप से गैर जिम्मेदाराना उत्तर है, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा और जो आपने इसका उत्तर दिया है कि "सिंचाई विभाग द्वारा रिस्पना नदी के पुनर्जीवन हेतु एक प्रस्तुतीकरण किया गया, जो विचाराधीन है।" मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि रिस्पना नदी की योजना, उसको पुनर्जीवित करने, सौन्दर्यीकरण करने तथा पर्यटक स्थल के रूप में बनाने की योजना सिंचाई विभाग की ही है? कौन इतना बड़ा अधिकारी है जिसने इतना अच्छा विचार और प्रस्ताव बनाकर सरकार के पास भेजा, इतनी अच्छी योजना बनाकर आपको दी। क्या यह प्रस्ताव विभाग का है या विभाग को ऐसा प्रस्ताव बनाने के लिए सरकार ने निर्देशित किया है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सरकार ने निर्देशित किया है।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, यह बात स्पष्ट हो गई कि इसे सरकार ने निर्देशित किया है और विभाग ने योजना सरकार को बनाकर दी। माननीय सदस्य भी यही जानना चाहते थे। उस प्रस्तुतीकरण के बाद सरकार उस पर कार्यवाही भी करेगी। कार्यवाही के दौरान जो लोग प्रभावित होंगे उनके विषय में भी सरकार ने योजना बनाई होगी तो हम यह जानना चाहते हैं कि वह योजना क्या है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, वाटर रिचार्ज और ग्राउंड वाटर रिचार्ज की बात भी हमारे सामने आती रहती है और गिरते हुये भूजल स्तर पर भी हमारी चिन्ता है। इसलिए नदियों को बचाने के लिए इस शहर की दो प्रमुख नदियों, रिस्पना और बिंदाल को बचाने के लिए विचार किया जा रहा है। जहां तक इससे प्रभावित होने की बात है तो मान्यवर, नदी के अन्दर कोई नहीं रहता है जो भी रहता है वह बंधे के बाहर ही रहता है। तो इस प्रकार से इस योजना से कोई प्रभावित होने वाला नहीं है।

श्री हरबंस कपूर–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो योजना है यह सिर्फ रिस्पना नदी की ही योजना है या बिंदाल को भी इसमें सम्मिलित किया गया है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, रिस्पना की री–स्टडी हो रही है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, नदियों को पुनर्जीवित करने की बात सरकार द्वारा कही जाती है, लेकिन जो नहरें इस देहरादून शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं उनको धीरे–धीरे कवर कर दिया गया है। नदी के ऊपर से एलीवेटेड रोड बनाने की बात की जाती है लेकिन क्या माननीय मंत्री जी इस बात को भी सुनिश्चित करेंगे कि नहरों का भी संरक्षण किया जाय।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, शहरी विकास के क्षेत्र में हमें मात्र 2006 की ही नहीं 2021 तक की परिकल्पना करनी चाहिए। जवाहर लाल नेहरू अरबन डेवलपमेंट मिशन में इन्हीं का समावेश हैं मान्यवर, इस शहर का यातायात बढ़ा, वह अचानक नहीं बढ़ा। इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने इस स्थिति को उत्पन्न होते हुये देखा है। माननीय सदस्य से तो कई बार मेरी इन सब बिन्दुओं पर बात होती है यह हमारे साथ कई समितियों के सदस्य भी हैं। यातायात की समस्या का समाधान करने के लिए हमारी जो सौन्दर्यीकरण की महत्वपूर्ण योजनायें होती हैं, उनका बलिदान हमें करना पड़ा। वह हैं नहरें और सड़कों के दोनों किनारों पर लगे हरे पेड़।

मान्यवर, इन दोनों विषयों पर निश्चित रूप से हमें नुकसान हुआ है। इस बारे में हम कई समितियों में विचार भी कर चुके हैं। माननीय सदस्य भी उन समितियों में मेरे साथ रहे हैं। हमें ऐसी बातों पर ध्यान देना होगा जिससे कि हम एडवांस प्लानिंग कर सकें। भविष्य में इस प्रकार के नुकसानों से बचा जा सके, इसके लिए हम प्रयासरत भी हैं।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, नदियों के ऊपर से एलीवेटेड रोड की बात की जा रही है। नहरों के ऊपर से भी एलीवेटेड रोड बनायी जानी चाहिए। इससे सौन्दर्यीकरण में भी योगदान दिया जा सकता है और यातायात की सुविधा भी अच्छी तरह से मिल सकती है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जे0एल0एन0ए0डी0 के तहत हमें इस साल धनराशि प्राप्त होनी है। इसके अन्तर्गत बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके द्वारा हम वातावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। इसकी डिटेल डिजाइनिंग हम तैयार कर रहे हैं। अभी मेरे सामने रिस्पना

नदी की बात आयी, रिस्पना नदी के ऊपर एलीवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव हम भारत सरकार को भेज रहे हैं। देहरादून शहर की सड़कों पर फ्लाई ओवर और एलीवेटेड रोड बनाने का प्रस्ताव भी हम भारत सरकार को भेजेंगे।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि अरबन डेवलपमेंट योजना के तहत 3 शहरों को चयनित किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इनके विकास का प्रारूप कब तक तैयार कर लिया जाएगा? कब तक इस योजना को कार्यरूप दे दिया जाएगा?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, नैनीताल में जो बैठकें हुई थीं, उनमें 3 बार माननीय सदस्य को भी आमंत्रित किया गया था। मैंने जो बैठक ली थी, उसमें माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे। पता नहीं अन्य बैठकों में उपस्थित थे या नहीं। मैं बताना चाहता हूँ कि हम इसकी रिपोर्ट भारत सरकार को भेज रहे हैं। वह कितनी योजनाओं को स्वीकृति देती है तथा इनके लिए कितनी धनराशि दे रही है, यह तो दो–तीन माह के बाद ही पता चल पाएगा। हमारा प्रयास है कि हम इस विषय पर नवम्बर माह तक अण्डरस्टैण्डिंग प्राप्त कर सकें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, नदियों को पुनर्जीवित करने की बात आयी। यदि हम देखें तो दोहरण से इंदिरापुरी तक कई स्थानों पर रिस्पना नदी नाले के रूप में परिवर्तित हो गयी है। वहां पर यह केवल 2–3 मीटर तक ही चौड़ी रह गयी है। यह कहा जा सकता है कि आबादी ने नदी को खा लिया है। सौन्दर्यीकरण के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, यह होना चाहिए। लेकिन जहां पर नदी संकरी हो गयी है, वहां पर बरसात में पानी का फ्लो बढ़ जाएगा, इस कारण आस–पास के क्षेत्रों को खतरा पैदा हो जाएगा। आप 50 साल के लिए विचार कर रहे हैं। कभी क्लाउड बर्स्टिंग हो सकती है। आप नदियों का विस्तार करने जा रहे हैं। इस विस्तारीकरण से जो लोग प्रभावित होंगे उनके विस्थापन के लिए आप क्या योजना बनाएंगे?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, माननीय सदस्य को परिवारों के विस्थापन की बहुत चिन्ता है। मैं माननीय सदस्य से एक छोटा सा स्पष्टीकरण चाहता हूँ। आपने बताया कि नदी 2–3 मीटर की रह गयी है। इसका मतलब है, वह पहले इससे ज्यादा चौड़ी थी। आप क्या कहना चाह रहे हैं, यह स्पष्ट नहीं है। कृपया इसे स्पष्ट कर दें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी, मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, मैं छोटा सा स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ। माननीय सदस्य इसमें क्या चाह रहे हैं?

श्री भगत सिंह कोश्यारी–

मान्यवर, मुझे ऐसा लग रहा है कि माननीय सदस्य को मनुष्यों की चिन्ता है, मानव की चिन्ता है और माननीय मंत्री जी को सौन्दर्यीकरण और पुनर्जीवन की चिन्ता है। मुझे नहीं मालूम कि माननीय मंत्री जी को अगले चुनाव में पुनर्जीवन मिलेगा या नहीं। लेकिन आप रिस्पना नदी को अवश्य पुनर्जीवन देना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष जी, रिस्पना नदी को पुनर्जीवन मिल जाए तो अच्छी बात है। आखिर कितने लोगों को नदियों के पुनर्जीवन के नाम पर उजाड़ा जायेगा। इसकी चिन्ता माननीय बिष्ट जी को भी है। नहरों को बन्द करके दूसरी तरफ नदियों को पुनर्जीवित करके आप किसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, पुनर्जीवन हमें नहीं मिलना है, पुनर्जीवन के लिए तो आप परेशान हैं। जो जीवित नहीं हैं, वे चाहते हैं कि कोई मुद्दा ऐसा मिल जाए जिसमें लोगों को यह बताया जा सके कि आपको उजाड़ा जा रहा है। मान्यवर, हम तो जीवित हैं और जीवित ही रहेंगे। जहाँ तक उजाड़े जाने का सवाल है ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। हम अभी से विस्थापन की बात कैसे कर दें। सम्भावनाओं से भरे हुए प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया जा सकता है।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी 20 मिनट बचे हैं, एक छोटा सा स्पष्टीकरण माननीय मंत्री जी से चाहता हूँ। पुनर्जीवन के बारे में आपने कहा कि मैं इसका विस्तार से विवरण दूँगा। मैं सोचता हूँ कि 2–3 दिन में तो पुनर्जीवन के बारे में विस्तारपूर्वक विवरण नहीं दे पायेंगे। मान्यवर, वर्तमान में जिस जगह पर यह विधान सभा चल रही है, जिसमें आज हम बैठे हैं यह तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसके बारे में भूगर्भ शास्त्रियों ने भी कहा है। क्या विधान सभा को अन्यत्र बसाने की कोई योजना है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, अन्यत्र बसाने की कोई योजना नहीं है। जल संरक्षण किस प्रकार से बढ़ाया जाए इसके लिए हाइड्रोलॉजिस्ट एक्सपर्ट से विचार–विमर्श कर रहे हैं। क्योंकि नदियाँ हमारे भूगर्भ जल को बढ़ाती हैं। विस्थापन का कोई सवाल नहीं है। किसी को भी नहीं उजाड़ा जा रहा है। लोगों को उजाड़े जाने की बात खामख्वाह कही जा रही है। आप भी जानते हैं कि यह हल्ला क्यों मचाया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन को और लोगों को आश्वस्त कराना चाहता हूँ कि किसी को भी उजाड़ने की कोई योजना नहीं हैं।

शहरी क्षेत्रों में दूध की डेरियों द्वारा नालियों में गोबर बहाने पर प्रतिबन्ध

*6. श्री हरबंस कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री शहरी क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु दूध की डेरियों द्वारा नालियों में गोबर बहाने पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा–274 तथा नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा–258 (घ) के अन्तर्गत सार्वजनिक नाली में गोबर/संतापकारी पदार्थ/कूड़ा करकट आदि डाला जाना प्रतिबन्धित तथा आर्थिक दण्डनीय अपराध है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह तो स्वीकार किया कि सार्वजनिक नालियों में कूड़ा–करकट डालना व गोबर डालना अपराध है। माननीय मंत्री जी इस बात से भी अवगत होंगे कि आज जितने भी शहरी क्षेत्र हैं और जो दूध की डेरियाँ विद्यमान हैं उनका कूड़ा–करकट उनका गोबर नालियों में बहा दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज डेंगू का खतरा मण्डरा रहा है तथा पीलिया आज शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में फैला हुआ है इस पर कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। आप स्वयं सरकारी अस्पतालों में जाकर स्थिति को देखें आपको अंदाज हो जायेगा। ऐसी स्थिति में क्या माननीय मंत्री जी कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जो नालियों में गोबर बहाया जा रहा है वह नालियों में न बहाया जाए तथा जो ऐसे कृत्य कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए जिससे कि यह जो बीमारियाँ फैल रही हैं वे न फैलें और गन्दगी पर भी अंकुश लगे।

मान्यवर, जो संगीन बीमारियां मलेरिया, डेंगू, पीलिया, टाईफाईड फैल रही हैं, उनको रोकने के क्या उपाय किये गये हैं? जिससे जन स्वास्थ्य ठीक रहे।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस पर कार्यवाही की जा रही है और जो माननीय सदस्य का मूल प्रश्न है उस पर भी कार्यवाही विद्यमान है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी है। शहरी क्षेत्र में जो सौ प्रतिशत डेरियां अपना गोबर नालियों में बहा रही हैं, जिससे तरह–तरह की बीमारियां फैल रही हैं। इसको रोकने के लिए क्या उपाय किये गये हैं, क्या सरकार इसको संगीन अपराध घोषित करेगी?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो अधिनियम के अन्तर्गत प्राविधान है, उसी के मुताबिक कार्यवाही की जा रही है। यहां पर जो सुझाव लाये जायेंगे उन पर भी विचार करेंगे।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से गोबर को नालियों में बहाया जा रहा है और जिस प्रकार की व्यवस्था की गयी है, उससे क्या आप संतुष्ट हैं? यदि नहीं तो आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, जो भी नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

श्री मातबर सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, आप हमारे संरक्षक हैं। सरकार इस प्रश्न का जवाब गोलमोल दे रही है। माननीय सदस्य माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि अभी तक इस सम्बन्ध में क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गयी है। (व्यवधान)

मान्यवर, सरकार गम्भीर नहीं है। कोई प्रश्न माननीय सदस्य उठा रहे हैं उसका संतोषजनक उत्तर नहीं मिल रहा है। आपने अर्थ दण्ड की बात की है। आज तक आपने कितने लोगों को दण्डित किया है जो गोबर नालियों में प्रवाहित कर रहे हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, हमने लगभग 90 प्रकरणों पर कार्यवाही की है। (व्यवधान)

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो सौ प्रतिशत दूध की डेरियां अपना गोबर नालियों में प्रवाहित कर रहे हैं, उन पर आपकी कार्यवाही का क्या असर हुआ है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इन डेरियों पर निश्चित रूप से असर हुआ है।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, जो डेरियां शहरी क्षेत्र में हैं, वे अपना गोबर नालियों में बहा रही हैं, जो कार्यवाही माननीय मंत्री जी द्वारा की गयी है, वह पर्याप्त नहीं है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, नगर पालिका अधिनियम में व्यवस्था है कि सीधे दोषी ठहराये जाने पर 250 रुपये का जुर्माना हो सकता है, इसी प्रकार से नगर निगम में व्यवस्था है। मान्यवर, दोनों में व्यवस्था है। जहाँ 90 केस में चालान किया है उसे मैं पढ़ देता हूँ।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, उसमें रोक लगी है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यदि माननीय सदस्य की जानकारी है कि कोई पुनः अपराध कर रहा है तो मैं अधिनियम के अनुसार उन पर पुनः कार्यवाही करवा देता हूँ, इसके अलावा मैं उस सूची से भी अवगत कराता हूँ।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, जो कार्यवाही की है उससे क्या एक प्रतिशत भी सफलता मिली है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, सौ प्रतिशत सफलता नहीं मिली है।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, नगर पालिका, नगर निगम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है, लेकिन होता यह है कि शहरों के बीच में डेयरी खोल लेते हैं और जानबूझकर चालान करा लेते हैं और 250 रुपये का जुर्माना हो जाता है और वह बहुत लम्बी प्रक्रिया है और कोई कार्यवाही करने आता है तो उसे चालान दिखा देते हैं। मान्यवर, उनको निश्चित रूप से शहर के बाहर जाना चाहिए उनसे शहर प्रदूषित हो रहा है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आप यह प्रस्ताव के रूप में लायें तो हम मान लेंगे।

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, प्रस्ताव के रूप में कैसे लायें?

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह सन्तापकारी पदार्थ क्या है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी एक तरफ तो सौन्दर्यीकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ गोबर रिस्पना आदि नदियों में जा रहा है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी के जवाब से ऐसा लग रहा है कि डाक्टर दवा दे रहा है और मर्ज ठीक नहीं हो रहा है। मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि उस रोग को समाप्त करने के लिए माननीय मंत्री जी क्या कर रहे हैं?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, संतापकारी पदार्थ में है कि किसी नाले में कोई ईंट, पत्थर, मिट्टी, राख, गोबर या ऐसी वस्तु या पदार्थ न गिरायेगा, न डालेगा, न रखेगा, जिससे नाली को क्षति पहुंचने या उसमें बहने वाली वस्तुओं को निर्बाध रूप से बहने में बाधा पड़ने की संभावना हो या विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो। मान्यवर, किसी भवन या भूमि से कोई संतापकारी पदार्थ, कूड़ा–करकट, विष्ठा या लोथ, खण्ड (ख) के अधीन नियत किसी स्थान या धारा 273 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन व्यवस्थित किसी पात्र से भिन्न अन्यथा किसी सार्वजनिक स्थान या सड़क के किसी भाग पर या किसी सार्वजनिक सीवर या नाली में या किसी सार्वजनिक सीवर या नाली से मिलने वाली किसी नाली में फेंका या जमा किया जाता है, ऐसे भवन या भूमि या अध्यासी और कोई ऐसा व्यक्ति जो उपधारा के खण्ड (ग) के अधीन जारी किये गये किसी निदेश का उल्लंघन करता है, दोषसिद्ध ठहराये जाने पर दो सौ पचास रुपये से अनधिक के जुर्माने से दण्डनीय होगा।

मान्यवर, सम्भवतः जो माननीय सदस्यों की चिन्ता है उस चिन्ता से हम भी अवगत हैं, इन समस्याओं का हल एक चरणबद्ध तरीके से निकाला जा सकता है, थोड़ी हमारे कार्यों से रोक लग सकती है। शत–प्रतिशत छूट मिल जायेगी, यह अभी सम्भव नहीं है। यह डेरी हमारे शहरों के बीचों बीच में हैं एक तो यह जनता की आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आती है। इसके लिए हमें एक व्यवहारिक व्यवस्था करनी है। मान्यवर, हमारे नगर निगम के माननीय सभासदगण भी इसमें सुझाव देते हैं, हम भी इसमें कोशिश करते हैं।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, हमने स्थाई व्यवस्था की बात की है। ये लोग नालियों में गोबर बहाते हैं जिससे वातावरण दूषित होता है। (व्यवधान) सरकार को इनकी स्थाई व्यवस्था के लिए कोई चिन्ता नहीं है। इसलिए मैं सदन से वाकआउट करता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य श्री हरबंस कपूर एवं माननीय सदस्य श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी द्वारा सदन का वाकआउट किया गया।)

श्री महेन्द्र भट्ट–

मान्यवर, डेरियों का समाधान होना चाहिए। नगर पालिका में इसकी कोई व्यवस्था है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, व्यवस्था है तभी चालान किये जा रहे हैं।

श्री नारायण सिंह जंतवाल–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि नगर निकायों की सफाई का प्रश्न है। जो सफाई व्यवस्था होनी चाहिए वह नगर निकायों में नहीं हो रही है इससे हमारी स्वच्छता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या कोई निश्चित अवधि में इस प्रकार की कोई योजना है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस विषय पर ....

(दर्शक दीर्घा से एक व्यक्ति द्वारा नारा लगाया गया कि परिसीमन आयोग वापस जाओ, वापस जाओ आदि)

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इस विषय पर पुनः ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि इधर हम लोग इस पर प्रयास कर रहे हैं। हमारा एक या डेढ़ साल का अनुभव इतना अच्छा नहीं रहा, इसमें जितना जन सहयोग अपेक्षित है वह नहीं मिला। योजना बहुत संक्षिप्त है। मैं मानता हूँ कि हमारा प्रदेश पर्यटक प्रदेश है। सफाई व्यवस्था पर्यटक का मुख्य आधार बन सकता है। हमने एक मुहल्ला स्वच्छता समिति बनाई है। मुहल्ला स्वच्छता समितियाँ रिहायशी इलाके के लिए भी हैं, बाजार के रख रखाव के लिए भी हैं। हम घरों से कूड़ा साफ करके बाहर फेंक देते हैं। इस प्रक्रिया में यह अनुरोध किया है कि हम अपने घरों का कूड़ा–करकट बाहर न फेंके। इसको एकत्र करके इसके निस्तारण की व्यवस्था है।

मान्यवर, हमने उनसे कहा कि हम आपकी प्रगति का जो भी आंकलन करेंगे उसमें स्वच्छता का मानक होगा और इस पर ही निर्भर करेगी, भविष्य में मिलने वाली सहायता। हमने यह भी कहा कि अगर वे सेग्रीगेशन कर देते हैं तो हम ट्रेंचिंग ग्राउण्ड भी उनको वन भूमि में उपलब्ध कराएंगे। जहां तक प्लास्टिक के कचरे की बात है हम

इसके रिसाइकिल का प्रयास कर रहे हैं। श्रीनगर में इसका प्लांट लगाया जा चुका है। इससे लोगों को एक नयी चीज देखने को मिलेगी जो हमारे क्षेत्र के लिए नयी है, लेकिन पूरे विश्व में, जहां मान्यवर आप भी गये हैं, वहां यही व्यवस्था लागू है। मान्यवर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कमेटी ने हमारी इस योजना का अध्ययन किया और उसने उसे उपयुक्त पाया। यह जरूर है कि आदतों को बदलने में समय लगता है। आपने देखा होगा कि नगर निकायों में बोर्ड लगे हैं कि मोहल्ला स्वच्छता समिति क्या है और यह किस प्रकार से कार्य करती है। अगर इसका थोड़ा प्रचार-प्रसार और हो जाये तो बहुत अच्छा काम हो सकता है।

पिथौरागढ़ में बहुत अच्छा काम हुआ है, कालाढूँगी और श्रीनगर में भी अच्छा काम हुआ है, हमारे प्रयासों का नतीजा आने लगा है। देहरादून में कुछ कालोनियों में बहुत अच्छा काम हुआ है। यह प्रयास होना चाहिए कि लोग हमें सहयोग करें। अगर यह परिवर्तन हम अपनी आदत में कर सकें तो बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। 500 मोहल्ला स्वच्छता समितियों का गठन किया जा चुका है। मेरा सुझाव है और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ कि इन समितियों को नगर निकाय अधिनियम के अन्तर्गत एक अधिनियम की मान्यता प्रदान कर दी जाये ताकि लोग संशय में न रहें कि ये समितियां क्या हैं। जब तक जन सहयोग नहीं मिलता है तब तक सफाई की व्यवस्था माकूल नहीं हो सकती है। इसका उदाहरण हमारे सामने है। राजधानी रेल दिल्ली से बाम्बे जाती है, उसमें और कोंकण रेलवे में यात्रा करें तो दोनों में अन्तर देखने को मिल सकता है।

ऊर्जा के बाद पर्यटन ही हमारी आय का स्रोत बनने वाला है, तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि इसमें जितना ज्यादा जनसहयोग हो सके, करें। तब न डेयरी की समस्या रहेगी, न होटल की समस्या रहेगी। जहां पर डस्टबिन रखा जाता है वहां पर काफी क्षेत्र में कूड़ा डस्टबिन के बाहर भी पड़ा रहता है, इससे बहुत गन्दगी हो जाती है और एक मानव ही फिर इस डस्टबिन में घुसकर इसकी सफाई करता है। मानवीयता के नाते भी यह उचित नहीं है। आपका सुझाव रचनात्मक था। इसलिए जरूर सुझाव देना चाहता हूँ कि यदि इन आदतों का प्रचार-प्रसार करें तो हम अपने राज्य को बहुत बड़ी समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं और अपने प्रदेश को एक आदर्श प्रदेश के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नकाल समाप्त।

*7. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

द्वितीय मंगलवार के लिए स्थगित।

नोटः– तारांकित प्रश्न सं0–6 के उपरान्त प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

अतारांकित प्रश्न

जनपद पिथौरागढ़ के डोर बैण्ड से सैणराथी तक सड़क निर्माण हेतु निविदा

1. श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के डोर बैण्ड से सैणराथी तक सड़क के निर्माण हेतु विभाग द्वारा निविदा आमंत्रित न किये जाने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार निविदा आमंत्रण करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

निविदा आमन्त्रित कर ली गई है।

दिनांक 8–8–2006 को प्राप्त कर ली गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

डीडीहाट दूनाकोट मोटर मार्ग में वर्ष 2006 में किमी0 आठ व नौ को छोड़कर किमी0 01 से 13 तक डामर हेतु स्वीकृत धन

2. श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि डीडीहाट दूनाकोट मोटर मार्ग में किमी0 आठ व नौ को छोड़कर किमी0 01 से 13 तक डामर हेतु धन स्वीकृत किया गया है?

यदि हाँ, तो किन कारणों से किमी0 आठ व नौ को छोड़ दिया गया है?

क्या सरकार वर्ष 2006 में किमी0 आठ व नौ हेतु धन स्वीकृत करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

किमी0 5 से 13 तक के लिए डामरीकरण की स्वीकृति दी गई है।

अन्य योजना में प्रस्तावित होने के कारण स्वीकृति नहीं दी गई थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में दूनाकोट से कुडियां तक मोटर सड़क मार्ग निर्माण तथा धनराशि की स्वीकृति

3. श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में दूनाकोट से कुडियां तक 6 किमी0 सड़क स्वीकृत है?

क्या यह सत्य है कि उक्त सड़क में किमी0 एक से दो तक हल्का वाहन हेतु तथा किमी0 3 से 6 तक मोटर मार्ग हेतु सड़क बन रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार जनहित में उक्त किमी0 एक व दो हल्का वाहन मार्ग को भी मोटर मार्ग में परिवर्तित कर वर्ष 2006 वित्तीय वर्ष में धन स्वीकृत करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जनपद पिथौरागढ़ में दूनाकोट से कुडियां तक मात्र 5 किमी0 सड़क तीन चरणों में स्वीकृत है।

किमी0 1 व 2 हल्का वाहन मार्ग पूर्व से स्वीकृत एवं निर्मित है। किमी0 3, 4 व 5 मोटर मार्ग स्वीकृत है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

4. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

प्रथम सोम के अता0 प्र0सं0–99 में स्थानान्तरित।

वर्ष 2004 में कुम्भ मेला बजट से जनपद पौड़ी गढ़वाल के लक्ष्मण झूला क्षेत्र में सड़क एवं नाली निर्माण

5. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि वर्ष 2004 में कुम्भ मेला बजट से लक्ष्मण झूला (पौड़ी गढ़वाल) में लो0नि0 द्वारा सड़क एवं नाली निर्माण कराया गया था?

क्या यह सत्य है कि उक्त नाली एवं सड़क से जल निकास न होने के कारण समय–समय पर मनुष्य एवं जानवरों के नाली में फंसने से दुर्घटना हो रही है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त दुर्घटना रोकने हेतु नालियों को कवर या जालियों से बन्द करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

दुर्घटना होने की ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नाली की सफाई गैंग द्वारा यथा आवश्यकता की जाती है।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत यमकेश्वर वि0स0 क्षेत्र में वर्ष 2003 से 2006 तक नई सड़कों के निर्माण तथा डामरीकरण हेतु स्वीकृतियां

6. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2003 से 2006 तक कुल कितनी नई सड़कें एवं कितनी सड़कें डामरीकरण हेतु स्वीकृतियां हुई।

क्या इन सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है?

यदि हाँ, तो किन–किन सड़कों का?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

47 नये मार्ग तथा 22 मार्गों का डामरीकरण स्वीकृत किया गया।

जी नहीं।

04 सड़कों का डामरीकरण स्वीकृत लम्बाई में किया गयाः–

1. स्वर्गाश्रम जौंक मोटर मार्ग।
2. मस्टखाल–सिलोगी–घट्टूगाड़ मोटर मार्ग।
3. मस्टखाल मोटर मार्ग।
4. चैलूसैंण–सिलोगी–घट्टूगाड़ मोटर मार्ग।

निर्माण कार्य विभिन्न चरणों में होने के कारण।

जनपद उत्तरकाशी के नालूपानी नामक स्थान पर वन विभाग के गोदामों में लकड़ी की अनुपलब्धता

7. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के नालूपानी नामक स्थान पर हरिद्वार गंगोत्री विश्वनाथ बस सेवा दि0 8–7–2006 को दुर्घटनाग्रस्त हुई थी?

क्या यह सत्य है कि दुर्घटना में मारे गये लोगों के शवों को, वन विभाग के लकड़ी गोदामों से लकड़ी न मिल पाने के कारण, गाड़ियों के पुराने टायरों से जलाना पड़ा?

यदि हाँ, तो वन विभाग के लकड़ी गोदामों में लकड़ी अनुपलब्धता के क्या कारण थे?

क्या सरकार जांच करवाकर कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

जी नहीं। दि0 8–7–2006 को हुई बस दुर्घटना में मारे गये लोगों के शवदाह हेतु उत्तरांचल वन विकास निगम के उत्तरकाशी वन विकास प्रभाग द्वारा सीधे घाट पर ही जलौनी लकड़ी उपलब्ध करायी गयी थी।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में इन्दिरा आवासों व निर्बल वर्ग आवासों के निर्माण के लिए हक–हकूक के रूप में इमारती लकड़ी की अनुमन्यता

8. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में इन्दिरा आवासों व निर्बल वर्ग आवासों को भूकम्प रोधी बनाने के लिये चीड़ इत्यादि की लकड़ी सस्ती दरों पर हक–हकूक के रूप में पात्र लाभार्थियों को दिये जाने की नीति बनाये जाने पर विचार किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

पर्वतीय क्षेत्रों (गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल) में ग्राम वासियों को प्रति वर्ष 32000 घ0 मीटर प्रकाष्ठ हक–हकूक के रूप में अनुमन्य है, इन्दिरा आवासों व निर्बल वर्ग आवासों के लिए भी अनुमन्य है।

हक–हकूक के पात्र लाभार्थियों को, गिरे पड़े सूखे वृक्षों की उपलब्धतानुसार, सम्बन्धित ग्राम प्रधान/सभापति के माध्यम से नियमानुसार अनुमन्य मात्रा तक, प्रकाष्ठ निःशुल्क दिया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के अम्बेडकर ग्राम थाती दिचली तथा चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग निर्माण से क्षतिग्रस्त खेतों का मुआवजा

9. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के अम्बेडकर ग्राम थाती दिचली मोटर मार्ग तथा चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग निर्माण से क्षतिग्रस्त खेतों के मुआवजे का भुगतान काश्तकारों को कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो कब और कितना?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

1. अम्बेडकर ग्राम थाती–दिचली मोटर मार्ग का मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है।

2. चिन्यालीसौड़ जोगथ मोटर मार्ग के मुआवजे का भुगतान किया जा रहा है।

1. अम्बेडकर ग्राम थाती–दिचली मोटर मार्ग के लिए वर्ष 1996 में रु0 565437.50, वर्ष 1997–98 में रु0 403046.00।

2. चिन्यालीसौड़–जोगथ मोटर मार्ग के लिए वर्ष 2005–06 में रु0 898346.00 का भुगतान किया जा चुका है।

आपसी विवाद के कारण शेष भुगतान नहीं हो पाया।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत राजा जी नेशनल पार्क में स्थित कौड़िया, किमसार मोटर मार्ग का सुधारीकरण

10. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत आने वाले राजा जी नेशनल पार्क के क्षेत्र में स्थित कौड़िया, किमसार मोटर मार्ग अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है?

क्या वन विभाग उक्त मार्ग का सुधारीकरण करायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

इस मार्ग का सुदृढ़ीकरण वन विभाग में संचालित "वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण परियोजना" के तहत किया जाना प्रस्तावित है।

स्वीकृति की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग के केदारनाथ वि0स0 क्षेत्र में वर्ष 2004–06 में कुल मोटर व पैदल झूला पुलों का निर्माण

11. श्रीमती आशा देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग के विधान सभा क्षेत्र केदारनाथ में वर्ष 2004–05 तथा 2005–06 में कुल कितने मोटर पुलों, पैदल झूला पुलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है?

क्या स्वीकृत योजनाओं पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है?

यदि हाँ, तो कार्यों की प्रगति क्या है?

क्या उक्त अवधि में स्वीकृत मोटर मार्गों पर वाहन चलाये जा रहे हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

कुल 10 (3 मोटर पुल तथा 7 पैदल) पुल स्वीकृत हैं।

जी हाँ।

एक पैदल सेतु का कार्य पूर्ण, एक मोटर पुल व तीन पैदल पुल का निर्माण प्रगति पर शेष में चार पुलों पर स्थल चयन व वनभूमि हस्तान्तरण प्रक्रिया प्रगति पर तथा एक सेतु के निर्माण हेतु अनुबन्ध गठन की कार्यवाही प्रगति पर।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल के सभी जनपदों में प्रेस क्लबों की स्थापना/मान्यता एवं प्रेस क्लब भवनों का निर्माण

12. श्रीमती आशा देवी–

क्या सूचना मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि उत्तरांचल के सभी 13 जनपदों में पत्रकारों को बेहतर सुविधा प्रदान करने हेतु प्रेस क्लबों की स्थापना तथा मान्यता प्रदान की जा चुकी है?

क्या सरकार द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग में प्रेस क्लब के भवन निर्माण हेतु धन स्वीकृत किया गया है? यदि हाँ, तो कितना? क्या निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है?

यदि नहीं तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं। सभी जनपदों में प्रेस क्लबों की स्थापना नहीं की जा सकी है। प्रेस क्लबों की मान्यता राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाती है।

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में कोई आगणन या प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुये हैं।

गंगोत्री–यमनोत्री यात्रा धाम पर चम्बा–रलोंगाड़–कमान्द–चिन्यालीसौड़ होकर जाने वाले मोटर मार्ग का चौड़ीकरण

13. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि चम्बा–रलोंगाड–कमान्द–चिन्यालीसौड मोटर मार्ग के बढ़ते यातायात दबाव, गंगोत्री–यमुनोत्री पर्यटक यात्रा धाम, जनपद टिहरी गढ़वाल के चम्बा थौलधार व प्रतापनगर विकास खण्ड व उत्तरकाशी जनपद का एकमात्र मुख्य मोटर मार्ग होने के कारण इसे चौड़ा कर डबल लेन का मोटर मार्ग बनाया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

यह मार्ग डी0जी0बी0आर0 के नियंत्रणाधीन है। भारत सरकार से डी0जी0बी0आर0 को स्वीकृति के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों का निर्माण

14. श्री गगन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील मुन्स्यारी के अन्तर्गत स्वीकृत मोटर मार्गों मदकोट से रिंगू तथा मुन्स्यारी से जौलढुंगा उच्छैती में निर्माण कार्य कब तक शुरू किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात्।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद पिथौरागढ़ के जौलजीवी मुन्स्यारी मोटर मार्ग के मध्य क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण

15. श्री गगन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ के जौलजीवी मुन्स्यारी मोटर मार्ग के मध्य कितने पुल सुरक्षित हैं और कितने पुल क्षतिग्रस्त हैं?

क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त पुलों का पुनर्निर्माण करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

09 पुल हैं। एक पुल क्षतिग्रस्त हुआ था जिसे ठीक कर परिवहन हेतु उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग अन्तर्गत विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत स्वीकृत मोटर मार्गों का निर्माण

16. श्रीमती आशा देवी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत विकास खण्ड अगस्त्यमुनि में पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत स्वीकृत काण्डई–रौता तथा राज्य योजना के तहत स्वीकृत कोटखाल–जाखतोली मोटर मार्गों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है?

यदि हाँ, तो क्या उक्त दोनों मोटर मार्गों में निर्माण कार्य प्रारम्भ हो चुका है?

यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय जनता द्वारा संरेखण विवाद।

जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला के अन्तर्गत वलुवाकोट, कनार, रॉथी तथा नारायण आश्रम आदि अश्वमार्गों का पुनर्गठन

17. श्री गगन सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद पिथौरागढ़ के तहसील धारचूला के अन्तर्गत वलुवाकोट, पैय्या–पौड़ी, कनार, भट–भटा, मेतली, जारा–जिबली, रॉथी, जुम्मा, स्यांकुरी, खेला, गर्गुआ तथा नारायण आश्रम आदि अश्वमार्गों के पुनर्गठन किये जाने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

अस्कोट मृग विहार क्षेत्र के अन्तर्गत होने के कारण।

जनपद पिथौरागढ़ में द्वालीगाड़ में पैदल पुल पर क्षतिग्रस्त सुरक्षा दीवाल का निर्माण

18. श्री विशन सिंह चुफाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद पिथौरागढ़ में द्वालीगाड़ में पैदल पुल की सुरक्षा दीवाल दिनांक 10–07–06 को टूट जाने के कारण पैदल पुल का मार्ग अवरूद्ध हो गया है?

क्या यह सत्य है कि उक्त पैदल पुल कभी भी बह सकता है?

यदि हाँ, तो सरकार सुरक्षा दीवाल का निर्माण कब तक करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

जी हाँ।

जी नहीं।

शीघ्रताशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव में सारीगाड़ गातू जान्दणू मोटर मार्ग का निर्माण

19. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव में सारीगाड़ गातू जान्दणू मोटर मार्ग स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत कितने किलोमीटर स्वीकृत है?

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्राम जान्दणू को सड़क मार्ग से कम से कम दूरी पर जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण कब तक प्रारम्भ कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

12 किमी0।

शासनादेश दिनांक 19–11–2005 द्वारा सारीगांड़–गातू–मूलागांव एवं नौगांव–गोडर मोटर मार्ग से जान्दणू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु रु0 205.80 लाख की लागत से 12 किमी0 मार्ग स्वीकृत किया गया है। जान्दणू को जोड़ने हेतु अवशेष दूरी के मोटर मार्ग की स्वीकृति प्रदान कर सड़क मार्ग से जोड़ा जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

राज्य के वनों में बांज के वृक्षों के रोपण की कार्ययोजना

20. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के वनों में बांज के वृक्षों के अत्यधिक रोपण की कार्ययोजना सरकार द्वारा बनायी गयी है?

क्या सरकार वन ग्रामों में अधिकाधिक बांज प्रजाति के ऐसे वृक्ष जो जल संग्रहण में सहायक हों, का रोपण प्रोत्साहित करने हेतु एक ठोस कार्ययोजना का निर्माण प्रारम्भ करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं। इस सम्बन्ध में कोई विशिष्ट कार्ययोजना नहीं बनायी गयी है।

जी हाँ।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के राजि डुण्डा अन्तर्गत रनाड़ी में लीसा दोहन पर बंदी

21. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के राजि डुण्डा अन्तर्गत रनाड़ी कक्ष सं0–05 में विगत दस पन्द्रह वर्षों से लगातार लीसा दोहन करने, बड़े–बड़े खोब (घाव) बनाने, तेजाब का अत्यधिक प्रयोग करने से वर्ष 2005–06 में लगभग 700 से अधिक चीड़ के पेड़ सूखकर नष्ट हुये हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त कम्पार्टमेन्ट में कुछ वर्षों तक लीसा दोहन स्थगित/बन्द करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी नहीं, निर्धारित मानक के अनुसार चीड़ वृक्ष उपलब्ध न होने के कारण रनाड़ी कक्ष सं0–05 में वर्ष 2001 से ही लीसा टिपान बन्द कर दिया गया था तथा तब से बन्द है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में भड़कोट–बादसी हल्का वाहन मार्ग को भारी वाहन मार्ग में परिवर्तित करने विषयक

22. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड चिन्यालीसौड़ में भड़कोट–बादसी हल्का वाहन मार्ग को भारी वाहन मार्ग में कब तक परिवर्तित किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण अभी विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद उत्तरकाशी के बड़ेथी, वनचौरा से टिहरी गढ़वाल के कटखेत बगोन आदि गांवों को मोटर मार्ग से जोड़ा जाना

23. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि जनपद उत्तरकाशी के बड़ेथी, वनचौरा मोटर मार्ग से इन्द्रा–टिपरी मोटर मार्ग का विस्तार करते हुए जनपद

टिहरी गढ़वाल के कटखेत–बगोन आदि गांवों को मोटर मार्ग से जोड़ते हुए क्यारी–चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग से जोड़ा जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

टिपरी से कटखेत तक का मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज–5 में प्रस्तावित है।

कटखेत बगोन को क्यारी चापड़ा–सरोट मोटर मार्ग से जोड़ने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में नगर पालिका परिषद् द्वारा आई०टी०बी०पी० कैम्प महिडाण्डा जाने वाले मोटर मार्ग पर कचरा डम्पिग पर बन्दी

24. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या नगर विकास मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में नगर पालिका परिषद् द्वारा आई०टी०बी०पी० कैम्प महिडाण्डा जाने वाले मोटर मार्ग पर तेखला गधेरे को कूड़ा–करकट का डम्पिग केन्द्र बनाया गया है?

क्या उक्त गधेरे में वर्ष 2002 से अब तक कई टन कूड़ा–करकट फेंका जा चुका है?

क्या यह सत्य है कि गधेरे का सम्पर्क सीधे भागीरथी नदी से है?

यदि हाँ, तो सरकार जनहित में कब तक कचरा डम्पिग बन्द करवाये जाने हेतु त्वरित कार्यवाही करेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी नहीं।

जी नहीं।

नगर पालिका परिषद्, उत्तरकाशी द्वारा आई०टी०बी०पी० कैम्प महिडाण्डा जाने वाले मोटर मार्ग पर तेखला गधेरे के बगल में वर्ष 1998 में दीवार का निर्माण कर डम्पिग ग्राउण्ड बनाया गया था जिसमें वर्ष 2002 से कूड़ा–करकट डम्पिग किया जा रहा है।

जी नहीं।

उक्त डम्पिंग ग्राउण्ड गधेरे के जिस स्थान पर बनाया गया है, वहां से भागीरथी नदी काफी दूरी पर स्थित है तथा उक्त गधेरा निरन्तर रूप से प्रवाहित भी नहीं होता हैं पालिका द्वारा बनाये गये उक्त डम्पिंग ग्राउण्ड पर ही कूड़े–करकट का निस्तारण किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव अन्तर्गत सारीगाड गातू व डामटा कण्डारी मोटर मार्गों के अतिवृष्टि व भू–स्खलन के कारण बन्द यातायात को खोलने हेतु उपाय

25. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी विकासखण्ड नौगांव अन्तर्गत सारीगाड गातू मोटर मार्ग व डामटा कण्डारी मोटर मार्ग अतिवृष्टि व भूस्खलन के कारण यातायात हेतु बन्द है?

क्या यह सत्य है कि दोनों मोटर मार्गों पर जगह–जगह पर मलबा व दीवारें क्षतिग्रस्त हो गई हैं?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा यातायात खोलने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मार्ग हल्के वाहन हेतु खोल दिये गये हैं।

जी हाँ।

भारी वाहनों हेतु मार्ग खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी में वन निगम के कार्यों में लगे ठेकेदारों से मजदूरों की ई0पी0एफ0 की व्यवस्था विषयक

26. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में वन निगम के कार्यों में लगे ठेकेदारों से मजदूरों का ई0पी0एफ0 जमा करवाया जा रहा है?

क्या यह सत्य है कि स्थानीय बेरोजगार ठेकेदारों से मजदूरों का जबरदस्ती ई0पी0एफ0 जमा करवाये जाने से इन्हें भारी आर्थिक क्षति पहुँच रही है?

क्या सरकार वन निगम के छोटे–छोटे कार्यों में उक्त व्यवस्था समाप्त करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

यह कार्यवाही केन्द्रीय ई0पी0एफ0 अधिनियम, 1952 के तहत श्रमिकों के कल्याणार्थ की जा रही है, उत्तरांचल वन विकास निगम द्वारा निर्धारित कार्य की दरों में नियोक्ता द्वारा ई0पी0एफ0 हेतु दी जाने वाली राशि भी सम्मिलित होती है, अतः ठेकेदारों को इस कारण से आर्थिक क्षति नहीं हो रही है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित ई0पी0एफ0 अधिनियम, 1952 विभिन्न स्तर के कार्मिकों व श्रमिकों के कल्याण एवं भविष्य हेतु निधि जमा कराने के उद्देश्य से बनाया गया है एवं यह योजना जम्मू कश्मीर को छोड़कर भारत के सभी राज्यों में लागू है। यह व्यवस्था स्थानीय श्रमिकों के हित में है।

जनपद उत्तरकाशी के वि0ख0 भटवाड़ी में नैसर्गिक बुग्याल की सुरक्षा हेतु उपाय

27. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड भटवाड़ी में स्थित दयारा–बुग्याल में दुर्लभ जड़ी–बूटी के तस्करों व पालतू पशुओं द्वारा दयारा–बुग्याल की सुन्दरता व मखमली बुग्याल को क्षति पहुँचाई जा रही है?

क्या यह भी सत्य है कि पर्यटकों द्वारा टनों कूड़ा उक्त क्षेत्र में फैलाया गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा नैसर्गिक बुग्याल की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये गये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

विगत 6–7 वर्षों की अवधि के दौरान दयारा–बुग्याल में जड़ी–बूटी तस्करी का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया है तथा वन विभाग द्वारा दयारा–बुग्याल क्षेत्र में मवेशियों के चरान–चुगान की अनुमति नहीं दी जा रही है।

माह अगस्त, 2006 में नई दिल्ली से आयी एडवेंचर एक्टिविटी प्रमोटर कम्पनी द्वारा बुग्याल क्षेत्र में कुछ कूड़ा–करकट छोड़ा गया था, जिसे उक्त क्षेत्र से तत्काल हटा दिया गया तथा सम्बन्धित कम्पनी के विरुद्ध नियमानुसार जुर्म (एच–2) केस जारी किया गया।

जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड भटवाड़ी में स्थित द्यारा–बुग्याल में जड़ी–बूटी के तस्करों पर वन विभाग द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है। वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा समय–समय पर प्रभावी गश्त की जाती है। स्थानीय ग्रामीणों के पालतू पशुओं के चरान–चुगान को रोकने हेतु ग्रामीणों को द्यारा–बुग्याल की महत्ता व इसके संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। पर्यटकों द्वारा द्यारा–बुग्याल क्षेत्र में कूड़ा फैलाने पर अंकुश रखने व बुग्याल की नैसर्गिक सुन्दरता को बनाये रखने तथा पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चिन करने हेतु पर्यटकों की गतिविधियों पर भी कड़ी नजर रखी जाती है व इस हेतु स्थानीय ग्रामीणों (ग्राम समिति) के सहयोग से प्रबन्ध व्यवस्था भी लागू की गयी है। इस व्यवस्था में निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों में यह भी विशेष रूप से सुनिश्चित किया गया है कि अजैविक कूड़ा करकट जैसे कांच, प्लास्टिक, टिन आदि को बेस कैम्प तथा रूट इत्यादि सहित किसी भी स्थान पर नहीं छोड़ा जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

मार्च, 2002 के पश्चात् वन विभाग में सेवायोजित अंशकालिक वन श्रमिकों को सेवामुक्त

28. श्री प्रकाश पन्त–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मार्च, 2002 के पश्चात् वन विभाग में अंशकालिक वन श्रमिक सेवायोजित किये गये?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इनको सेवामुक्त करने का विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी नहीं। फील्ड कार्यों की आवश्यकता हेतु समय–समय पर दैनिक मजदूरी पर श्रमिकों से काम लिया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

देहरादून स्थित पल्टन बाजार के विस्थापित दुकानदारों को दुकानों का आवंटन

29. श्री प्रकाश पन्त–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून स्थित पल्टन बाजार में 23 जून, 2005 को अतिक्रमण हटाओ अभियान से कितने दुकानदार प्रभावित हुए हैं?

क्या सभी प्रभावित तथा विस्थापित दुकानदारों को दुकानें आवंटित कर दी गयी हैं?

यदि हाँ, तो कहाँ?

यदि नहीं, तो कब तक दुकानें आवंटित कर दी जायेंगी?

श्री नव प्रभात–

अतिक्रमण हटाओ अभियान में कुल 39 दुकानदार प्रभावित हुए हैं, जिनमें 17 दुकानें पूर्णतः ध्वस्त हुई थी।

जी नहीं, मात्र पुनर्वासन की पात्रता में आने वालों को पुनर्वासित किया गया है।

पूर्ण ध्वस्त दुकानों को प्रश्नगत स्थल के पीछे एम0डी0डी0ए0 तथा जिला प्रशासन के स्तर से भू–खण्ड फ्रीहोल्ड कर पुनर्स्थापित/पुनर्वासित कर दिया गया है।

17 दुकानदार जो पुनर्वासन की पात्रता में आते थे, पुनर्वासित कर दिया गया है।

राज्य में जड़ी–बूटी उत्पादन हेतु लीज रेन्ट पर वन भूमि आवंटन का मानक निर्धारण

30. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जड़ी–बूटी उत्पादन हेतु लीज रेन्ट पर कुल कितनी वन भूमि दिये जाने का प्राविधान है?

क्या सरकार द्वारा राज्य के निवासियों व बाहरी प्रदेश के लोगों को लीज रेन्ट पर वन भूमि आवंटन का कोई मानक निर्धारित किया गया है?

यदि हाँ, तो मानक/प्रक्रिया क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जड़ी–बूटी उत्पादन हेतु वन भूमि को लीज रेन्ट पर दिये जाने का कोई विशिष्ट प्राविधान नहीं है।

शासनादेश संख्या–156/7–1–2005–500 (826)/2002 दिनांक 09–9–2005 द्वारा वन भूमि पर दी गई लीजों के नवीनीकरण तथा नई लीजों की स्वीकृति हेतु नीति एवं वन भूमि का मूल्य (प्रीमियम)/वार्षिक लीज रेन्ट का निर्धारण किया गया है वन भूमि लीज पर देने के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति आवश्यक है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के दिल्ली–यमुनोत्री मोटर मार्ग से मुराड़ी गांव तक स्वीकृत मोटर मार्ग का सीमेंट–कंक्रीट द्वारा चौड़ीकरण

31. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के दिल्ली–यमुनोत्री मोटर मार्ग से मुराड़ी गांव तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु जिला योजना वर्ष 2004–05 में रु0 5.00 लाख स्वीकृत हुए थे?

क्या यह सत्य है कि मोटर मार्ग न बनने की सम्भावना को देखते हुए जनता की सुविधा हेतु सीमेन्ट–कंक्रीट का चौड़ा मार्ग बनाया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी हाँ।

संशोधित स्वीकृति के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विकास खण्ड अन्तर्गत कफड़ा से छब्बीसा–बग्वालीपोखर स्वीकृत मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

32. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट विकास खण्ड अन्तर्गत कफड़ा से छब्बीसा–बग्वालीपोखर स्वीकृत मोटर मार्ग निर्माण की प्रगति क्या है?

उक्त मोटर मार्ग का निर्माण कार्य कब तक पूर्ण कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मार्ग का संरेखण सक्षम अधिकारी से अनुमोदित हो चुका है। वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव गठित किये जा रहे हैं।

वन भूमि हस्तान्तरण के पश्चात् कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत द्वाराहाट वि0स0 क्षेत्र में स्वीकृत मोटर मार्गों का संरेखण एवं वन भूमि का हस्तान्तरण

33. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र द्वाराहाट में किन–किन स्वीकृत मोटर मार्गों का वन भूमि हस्तान्तरण न होने के कारण संरेखण का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है?

क्या यह सत्य है कि उक्त विवाद के कारण निविदा को भी अंतिम रूप नहीं दिया जा सका?

तथा वर्तमान समय में कौन–कौन सी सड़क का हस्तान्तरण प्रस्ताव अन्तिम चरण में है?

व कितने लम्बित हैं?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त प्रकरण का निस्तारण कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

कोई नहीं। मार्ग की स्वीकृति के उपरान्त संरेखण कार्य किया जाता है तथा संरेखण में यदि वन भूमि पड़ती है तब वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही की जाती है। वर्तमान में संरेखण का कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

वन भूमि हस्तान्तरण न होने के कारण अभी निविदा आमंत्रित नहीं की गई हैं।

8 नं0

20 नं0

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार की सहमति पर आधारित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा में चेकडाम/वनीकरण हेतु व्यय धनराशि तथा कार्यरत रेंज विषयक

34. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा में चेकडाम/वनीकरण हेतु कुल कितनी धनराशि वर्ष 2002 से वर्तमान समय तक खर्च की गई व कितनी अवशेष है?

क्या वन मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र में चेकडाम/वनीकरण हेतु कितने रेंज कार्यरत हैं। तथा किस रेंज में वर्ष 2002 से वर्तमान तक कितनी–कितनी धनराशि चेकडाम व वनीकरण पर खर्च की गई?

श्री नव प्रभात–

जनपद अल्मोड़ा में चेकडाम/वनीकरण हेतु वर्ष 2002 से वर्तमान समय तक रु0 1004.46 लाख की धनराशि व्यय की गई तथा अवशेष धनराशि शून्य है।

द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत अल्मोड़ा वन प्रभाग की द्वाराहाट रेंज तथा भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत की चन्थरिया रेंज (कुल 02 रेंज) कार्यरत् हैं जिनके द्वारा विभिन्न वानिकी कार्यों के साथ–साथ चेकडाम निर्माण/वनीकरण का कार्य भी किया जाता है।

उपरोक्त रेंजों द्वारा वित्तीय वर्ष 2002 से वर्तमान तक चेकडाम/वनीकरण पर निम्न प्रकार धनराशि व्यय की गयी:–

प्रभाग का नाम	रेंज का नाम	वर्षवार/रेंजवार व्यय की गयी धनराशि (लाख में)					
		02–03	03–04	04–05	05–06	06–07	योग
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा	द्वाराहाट	2.08	2.23	2.31	4.41	0.89	11.92
भूमि संरक्षण वन प्रभाग, रानीखेत	चन्थरिया	10.15	13.22	9.84	24.43	9.96	67.60
योग		12.23	15.45	12.15	28.84	10.85	79.52

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट वि0स0 के अन्तर्गत नरभक्षी बाघ द्वारा प्रभावित लोगों को मुआवजा

35. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा के अन्तर्गत नरभक्षी बाघ द्वारा वर्ष 2002 से वर्तमान समय तक कुल कितने लोगों को घायल किया, कितने लोगों की जानें ली?

क्या सरकार द्वारा सभी प्रभावितों को मुआवजा दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

वर्ष 2002 से वर्तमान तक द्वाराहाट सभा क्षेत्र में नरभक्षी बाघ (लैपर्ड) द्वारा दो बच्चों को मारा गया। उक्त क्षेत्र में नरभक्षी बाघ (लैपर्ड) द्वारा किसी व्यक्ति को घायल किये जाने की कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट वि0स0 अन्तर्गत दुगांधारा, सीरा–कनोली तथा कुकुछीना–गरजिया–पैली वन मार्ग को लो0नि0 विभाग को हस्तान्तरण पर प्रगति

36. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद अल्मोड़ा के द्वाराहाट विधान सभा अन्तर्गत वन मार्ग दुगांधारा, सीरा–कनोली तथा कुकुछीना–गरजिया–पैली को लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण किये जाने हेतु मेरे स्वयं द्वारा लिखित पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2005 मंत्री जी को प्राप्त हुआ था?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी द्वारा आदेश निर्गत किये जा चुके हैं?

यदि हाँ, तो वर्तमान समय में कार्य की क्या प्रगति है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

शासनादेश सं0 2555/III(2)/06–41(प्रा0आ0)06 दिनांक 26–9–06 द्वारा दोनों कार्यों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

देहरादून शहर में स्थित बकरालवाला से चुक्खू मोहल्ला, लुनिया मोहल्ला आदि क्षेत्रों के गंदे नाले का जीर्णोद्धार

37. श्री हरबंस कपूर–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि देहरादून शहर के बीचों–बीच स्थित बकरालवाला से चुक्खू मोहल्ला, लुनिया मोहल्ला, मन्नूगंज, हकीकतराय नगर,

खुड़बुड़ा मोहल्ला तथा इन्द्रेश नगर आदि क्षेत्रों से गुजरने वाले गंदे नाले का जीर्णोद्धार करने एवं ढकने की कोई योजना विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत बनाये गये सिटी डेवलपमेंट प्लान में वर्तमान नालों का सुदृढ़ीकरण प्रस्तावित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया तहसील अन्तर्गत धुधलिया बिष्ट से रमनगाँ–ताजपुर–सनगड़ी मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु कार्यवाही

38. श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद अल्मोड़ा के चौखुटिया तहसील अन्तर्गत धुधलिया बिष्ट से रमनगाँ–ताजपुर–सनगड़ी मोटर मार्ग की स्वीकृति हेतु मंत्री महोदय को सम्बोधित पत्र दिनांक 20 जनवरी, 2005 पत्रांक सं0 13881 आपको प्राप्त हुआ है?

यदि हाँ, तो उक्त पत्र पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

रमनगाँ से सनगडी तक मार्ग उक्त पत्र में प्रस्तावित था।

चौखुटिया–रमनागाँव–ताजपुर–सुनगड़ी मोटर मार्ग लगभग 11 किमी0 लम्बाई का आगणन विभाग द्वारा तैयार कर लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर विकास खण्ड अन्तर्गत बडोली–बैलोडी–बिजोली–चौखाल निर्माणाधीन मोटर मार्ग से प्रभावित ग्रामीणों को भूमि का मुआवजा

39. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर विकासखण्ड के अन्तर्गत बडोली–बैलोडी–बिजोली–चौखाल निर्माणाधीन मोटर मार्ग से स्थानीय ग्रामीणों की कुल कितनी कृषि भूमि रोड कटिंग्स में आ रही है?

क्या किसानों को उनकी भूमि के मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि कब तक प्रभावित कृषकों को उनकी क्षतिग्रस्त भूमि का भुगतान कर दिया जायेगा?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

4.8 हेक्टेयर।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

भू–स्वामियों की सहमति से फसल एवं चारे की कटाई उपरान्त।

उपरोक्तानुसार।

लोकनिर्माण विभाग द्वारा तकनीकी एवं अन्य संवर्गों का पुनर्गठन

40. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने का कष्ट करेंगी कि विभाग द्वारा केवल तकनीकी संवर्ग का ही पुनर्गठन किया गया है?

यदि हाँ, तो अन्य संवर्गों का पुनर्गठन कब तक कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं। गैर तकनीकी एवं फील्ड स्तर का भी पुनर्गठन किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

वन विभाग में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण

41. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या वन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वन विभाग में लम्बे समय से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमित करने के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदेश निर्गत किया था?

यदि हाँ, तो इन कर्मचारियों को अभी तक नियमित न करने के क्या कारण रहे तथा कब तक नियमित कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्या सरकार नियमित करने पर विचार कर रही है?

श्री नव प्रभात–

सिविल अपील संख्या 3634/98 उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम पुत्तीलाल में दिनांक 21–02–2002 को पारित निर्णय में मा0 न्यायालय द्वारा वन विभाग की ओर से (मा0 न्यायालय में) प्रस्तुत की गयी स्कीम को आंशिक संशोधन के साथ स्वीकार किया गया था। स्कीम में यह प्राविधान था कि वन विभाग में तत्समय तक, दस वर्ष व उससे अधिक अवधि से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कार्मिकों का विभाग में उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध विनियमितीकरण किया जायेगा।

वन विभाग के अन्तर्गत समूह 'घ' में उपलब्ध 868 रिक्त पदों के विरुद्ध दैनिक वेतन श्रमिकों का विनियमितीकरण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

नैनीताल शहर को जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना में सम्मिलित करने हेतु

42. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या नैनीताल शहर को जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीनीकरण योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा नैनीताल शहर हेतु क्या योजनाएं बनाई गई हैं तथा उनका विवरण क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी हाँ।

उत्तरांचल अरबन डेवेलपमेंट प्रोजेक्ट द्वारा नैनीताल शहर हेतु कुल रु0 549.65 करोड़ का सिटी डेवलपमेंट प्लान तैयार किया गया है जिसमें निम्नलिखित योजनाओं को सम्मिलित किया गया है:–

क्रमांक	योजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु0 में)
1.	वाटर सप्लाई	55.10
2.	सीवरेज एंड सैनिटेशन	18.00
3.	स्टोर्म वाटर ड्रेनेज	23.80
4.	सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट	20.00
5.	रोड्स ट्रैफिक एंड ट्रांस्पोर्ट	285.50
6.	स्ट्रीट लाइटिंग	3.40
7.	अरबन पुवर/स्लम्स	46.20
8.	अरबन रिनीवल एंड इन्वायरमेंट	90.45
9.	हैरिटेज एंड टूरिज्म	7.20
	योग	549.65

प्रश्न नहीं उठता।

कालाढूँगी–नैनीताल मोटर मार्ग पर पहाड़ कटान का मलबा उठाये जाने तथा दीवार बनाने विषयक

43. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि कालाढूँगी–नैनीताल मोटर मार्ग के मध्य कई जगह पहाड़ कटान के उपरान्त भी आज तक सड़क से मलबा नहीं उठाया गया है और न ही दीवार बनायी गयी?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क को ठीक किये जाने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी नहीं।

मलबा साफ किया जा चुका है। दीवार निर्माण का कार्य प्रगति में है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरकाशी में विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ अन्तर्गत बनचौरा–वणगांव के क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग पर मोटर पुल निर्माण

44. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ अन्तर्गत बनचौरा–वणगांव मोटर मार्ग के वडली गदेरे पर अतिवृष्टि होने तथा बरसात में पानी आ जाने से मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त रहता है?

यदि हाँ, तो क्या उक्त स्थान पर मोटर पुल निर्माण कराया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ।

जी नहीं, काजवे स्वीकृत है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य के पर्वतीय जनपदों में वन हक–हकूक के अन्तर्गत इमारती लकड़ी के वृक्षों की आवंटन संख्या में बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव

45. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या वन एवं पर्यावरण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य के पर्वतीय जनपदों में वन हक–हकूक के अन्तर्गत दिये जाने वाले इमारती लकड़ी के वृक्षों की आवंटन संख्या में बढ़ोत्तरी किये जाने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उसे कब तक लागू किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नव प्रभात–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

पर्वतीय क्षेत्रों (गढ़वाल एवं कुमायूं मण्डल) में ग्राम वासियों को प्रति वर्ष 32000 घ0 मीटर प्रकाष्ठ हक–हकूक के रूप में अनुमन्य है। हक–हकूक के पात्र लाभार्थियों को, गिरे पड़े सूखे वृक्षों की उपलब्धतानुसार, नियमानुसार अनुमन्य मात्रा तक, प्रकाष्ठ निःशुल्क दिया जाता है।

जनपद उत्तरकाशी में सिलक्यारा वणगांव मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मत

46. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या लोक निर्माण मंत्री अवगत हैं कि जनपद उत्तरकाशी में सिलक्यारा वणगांव मोटर मार्ग अतिवृष्टि व भू–स्खलन से किमी0 1 से 5 तक कई स्थानों पर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है जिस कारण यातायात ठप पड़ा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार द्वारा उक्त मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण/मरम्मत कर यातायात योग्य बनाया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

जी हाँ, आंशिक रूप से।

जी हाँ।

शीघ्रताशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

47. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

(द्वितीय मंगलवार के लिए स्थगित।)

सत्र के चलते सदन के बाहर नीतिगत विषयों की घोषणा किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह सदन हमारे संसदीय इतिहास की गरिमामय परम्पराओं के आधार पर चलता है और भारत के संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार और विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली के अनुरूप चलता है। संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए मंत्रि–परिषद् के गठन की बात कही गई है तथा अनुच्छेद 164 के तीसरी धारा में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "किसी मंत्री द्वारा अपने पद ग्रहण करने से पहले, राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिये गये प्रारूपों के अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलायेगा।" पद और गोपनीयता के बारे में इसमें कहा गया है और उसी के अनुसार माननीय मंत्रीगणों ने शपथ भी ली थी। इसके लिए संविधान की तीसरी अनुसूची में प्रारूप भी है जिसमें उल्लिखित है कि "मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि जो विचार संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जायेगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, तब के सिवाय जब कि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।"

मान्यवर, इसको यहां पर उद्धृत करने का तात्पर्य यह है कि 6 अक्टूबर को माननीय मंत्रि–परिषद् की बैठक हुई थी और उस बैठक में जो निर्णय लिये गये उनकी जानकारी उद्घोषणा द्वारा उपलब्ध कराई गई। जैसा कि लोकतांत्रिक परम्पराओं में है कि इसकी उद्घोषणा राज्य के मुख्य सचिव करते हैं, उन्हीं के द्वारा की गई। उसके बाद 8 अक्टूबर को कहा गया कि एक चार सदस्यीय मंत्रि–परिषद् की समिति है जिसमें माननीय मंत्री जी हीरा सिंह बिष्ट एवं सदन के सम्मानित माननीय सदस्य श्री दिनेश अग्रवाल जी सम्मिलित थे, उनके द्वारा कुछ उद्घोषणायें की गई। जो कि नीतिगत विषयों पर थीं। पहली घोषणा थी कि "भूमि क्रय हेतु ली गई धनराशि वापस कर दी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जायेगी।" 24 गांवों को इसमें छोड़ दिया गया है। भूमि अधिग्रहण जिसके लिए पैसा लिया गया वह वापस कर दिया जायेगा। दूसरी घोषणा "ब्याज और प्रतिकर हेतु राज्य सरकार द्वारा भार उठाया जायेगा।" तीसरा यह कि "जो भूमिहीन हो जायेंगे उनको निःशुल्क भूमि दी जायेगी।"

मान्यवर, अन्य उद्घोषणाओं को मैं विस्तार से उल्लिखित नहीं करूंगा। मेरा सवाल यह कि जब माननीय मंत्रि–परिषद् में किसी बिन्दु पर चर्चा हुई है तो उसकी उद्घोषणा करने का अधिकार किसे है? मान्यवर, आज यहां पर विधान सभा का सत्र आहूत किया गया है, यहां पर उद्घोषणा करने के बजाय माननीय मंत्रियों को बाहर जाकर उद्घोषणा करने का अधिकार किसने दे दिया? मान्यवर, यह विधान सभा की अवहेलना है भारत के संविधान के अनुच्छेद 164 की तीसरी धारा 3 के अन्तर्गत जो माननीय मंत्रीगणों ने शपथ ली थी उसका उल्लंघन हुआ है।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यवाही के खण्ड 242 के पृष्ठ संख्या 725 में माननीय अध्यक्ष जी द्वारा व्यवस्था दी गई है कि "अगर कोई जनसेवक गोपनीयता को भंग करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है लेकिन जहां तक इस आदरणीय सदन का प्रश्न है, कदाचित सैंसर आ सकता है लेकिन इससे कोई प्रभाव उसकी सदस्यता पर या मंत्रि–परिषद् पर नहीं पड़ेगा, लेकिन गोपनीयता भंग करने पर किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाया जा सकता है।" लेकिन मान्यवर, यहां पर मंत्री जी द्वारा अपने पद की गोपनीयाता को भंग किया गया है। मान्यवर, मैं आपसे इस प्रकरण पर विनिश्चय चाहता हूँ। यह सदन विगत 800 वर्षों की संसदीय परम्पराओं से चलता है। यह सदन भारत के संविधान और उत्तरांचल की कार्य संचालन नियमावली से चलता है। किसी भी माननीय मंत्री जी को सदन की परम्पराओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार नहीं है। विगत 5 वर्षों में कई प्रकरण ऐसे हुये हैं जिससे माननीय सदन की गरिमा को ठेस पहुंची है, 2–3 बार तो मैं ही स्वयं इन मामलों को सदन के समक्ष ला चुका हूँ। अतः मान्यवर, मैं इस प्रकरण पर आपसे विनिश्चय की मांग करता हूँ।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, यह संविधान की व्यवस्थाओं से सम्बन्धित प्रश्न है, इसके मूल विषय को जरूर देख लें। मूल विषय जिस विषय से सम्बन्धित है, जिस पर माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है, यह मूल विषय मंत्रि–परिषद् से पैदा नहीं हुआ है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा उद्घोषणा की गयी है कि मंत्रि–परिषद् द्वारा इसका निर्णय ले लिया गया है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह मंत्रि–परिषद् का निर्णय नहीं हैं, एक कमेटी द्वारा भू–अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की गयी। मंत्रि–परिषद् ने भू–अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू नहीं की है।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तो बात ही पलट दी है।

*श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, आज मंत्री जी कुछ अलग ही उत्तर दे रहे हैं। सवाल कुछ होता है और माननीय मंत्री जी जवाब कुछ देते हैं।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, आप सुन ही कुछ अलग रहे हैं।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, सरकार ने एक उप समिति का गठन किया। इसका उसको अधिकार है। यदि उप समिति अपने निर्णय को सरकार को न सौंप कर खुद ही उस निर्णय का प्रचार–प्रसार करने लगेगी, तो यह नियमों के खिलाफ है।

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, यह कैबिनेट की उप समिति नहीं है। माननीय विधायक भी इस कमेटी में सदस्य हैं। माननीय मंत्री जी से अनुमोदन प्राप्त कर लिया है, इसकी जानकारी इनके द्वारा दी गयी थी।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर–व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इस पर मैं अपना निर्णय सुरक्षित रख रहा हूँ।

*श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, अभी माननीय पंत जी ने यहां पर संवैधानिक बात की है। ऐसा ही एक संवैधानिक विषय मैं आपके सम्मुख ला रहा हूँ, इस पर आपका विनिश्चय चाहिए। मान्यवर, 9 अक्टूबर को इस प्रदेश की एक पार्टी के अध्यक्ष श्री हरीश रावत जी ने यह कहा है कि चुनाव से पहले आधा दर्जन जिले बना दिये जायेंगे। मान्यवर, क्या ये कैबिनेट के सदस्य हैं, या कैबिनेट ने इसे पास करके दे दिया है? आखिर इस विषय पर किसको बोलने का अधिकार है, कौन इस पर बोल सकता है? सरकार इस पर नहीं बोल रही है। किसको बोलना चाहिए? (व्यवधान) यह बात सदन में आनी चाहिए। (व्यवधान) मैं यह जानता था कि हरीश रावत जी के बारे में बोलूँगा तो आप जोर से बोलेंगे। मैं यह कहना चाहता हूँ कि वे किस हैसियत से बोल रहे हैं? यहां पर सदन चल रहा है। इस तरह की घोषणा करना सदन का अपमान है। इस विषय पर मैं आपके विनिश्चय की मांग करता हूँ।

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करा लिया जाएगा।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा मद संख्या–3 पुकारे जाने पर)

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, आपने कहा था कि प्रश्नकाल के बाद नियम 310 की सूचना को सुन लेंगे।

श्री अध्यक्ष–

इसके बाद सुन लूँगा।

श्री कांशीराम भूतपूर्व सांसद के निधन पर शोकोद्‌गार

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

बड़े दुःख के साथ इस सदन को सूचित करना पड़ रहा है कि श्री कांशीराम जी जिनका जन्म 15 मार्च, 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था, 8 अक्टूबर, 2006 की रात्रि में उनका निधन हो गया। वे 1991 तथा 1996 में संसद के सदस्य रहे तथा वर्ष 1998 में राज्यसभा के लिए चुने गये। उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण कार्य गरीबों और दलितों की आवाज उठाने का किया और बहुत थोड़े समय में ऐसा वातावरण बना कि पूरा देश दलित समाज को लेकर जागरूक हो गया।

माननीय कांशीराम जी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। श्री कांशीराम जी अविवाहित रहे। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। उनकी पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी कार्य करने का अवसर मिला उनकी उत्तराधिकारी के रूप में उत्तर प्रदेश में माननीया मायावती जी मुख्यमंत्री बनीं। हम सभी माननीय कांशीराम जी के निधन पर शोक संवेदना प्रकट करते हैं तथा संवेदना के यह भाव उनके परिवार के लोगों तक भेजते हैं।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय कांशीराम जी का 15 मार्च, 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले में हुआ था। स्वर्गीय कांशीराम जी गरीबों–दलितों के मसीहा थे। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में किया था। इस पार्टी के गठन में उनकी अहम् भूमिका थी। स्वर्गीय कांशीराम जी 1991 व 1996 में लोक सभा के सदस्य रहे तथा 1998 में राज्यसभा के सदस्य चुने गये। उनका निधन दिल्ली में रविवार 8 अक्टूबर, 2006 की रात्रि में हो गया। उनके निधन पर मैं अपनी ओर से तथा अपने दल की ओर से शोक संवेदना प्रकट करता हूँ तथा निवेदन है कि यह भाव उनके शोक संतप्त परिवार तक पहुँचाने का कष्ट करें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय कांशीराम जी के प्रति जो उद्‌गार संसदीय कार्यमंत्री ने तथा नेता प्रतिपक्ष ने व्यक्त किये हैं, मैं उन उद्‌गारों से उन भावनाओं से अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, कांशीराम जी व्यक्ति नहीं थे बल्कि उनके कृतित्व और उनके विचारों ने उनको एक संस्था का स्वरूप दे दिया था। आज सभी लोग मानते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अम्बेडकर जी के बाद दलितों के उत्थान के लिए व उनके हितों के लिए किसी ने सर्वाधिक कार्य किया तो वह स्वर्गीय कांशीराम जी ने किया। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर और नौकरी की वृत्ति से जीवन यापन आरम्भ करके अपनी विचार धारा को राजनीति में प्रस्थापित करना और उस विचार धारा को क्रियान्वित करना तथा उसको स्थापित करना यह अपने आप में बहुत ही अनूठा कार्य था जिसे उन्होंने करके दिखाया।

शुरू में जब वे सरकारी सेवा में थे तो हमको जानकारी है कि उन्होंने राज्य कर्मचारियों का संगठन बामसेफ बनाया और उसके माध्यम से दलित तबके के कर्मचारियों के हितों की लड़ाई शुरू की और कारगर तरीके से उस लड़ाई को लड़ा और धीरे–धीरे उनकी यह भावना और उनकी यह मान्यता मजबूत होती गई कि सत्ता ही एक ऐसी चाबी है जिससे सारी समस्या का समाधान हो सकता है और इसी मान्यता के बल पर उन्होंने 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया। आप समझ सकते हैं कि आज से 20–22 साल पहले बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ। तो हमने देखा कि बहुजन समाज पार्टी सत्ता में रही, तालमेल की सरकार में भी रही और अपने आप में सरकार बनाकर भी रही। मान्यवर, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सत्ता में रही। यह सारा का सारा श्रेय स्व0 कांशीराम जी को जाता है, जिन्होंने एक नयी विचारधारा और मान्यता की शुरूआत की और एक दलित समाज के उत्थान के लिए एक अविस्मरणीय कार्य किया।

गत 8 अक्टूबर को कांशीराम जी स्वर्गवासी हो गये, यदि वे इतने जल्दी स्वर्गवासी न होते तो दलित समाज के उत्थान के लिए और भी कार्य करते। मान्यवर, एक न एक दिन सभी को यहां से जाना है। मैं उनके निधन पर अपनी ओर से अपने दल की ओर से शोक श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आप से निवेदन करता हूँ कि हमारी ओर से शोक श्रद्धांजलि उनके परिवार को प्रदान कर दें और उनके परिवार व समर्थकों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको दुःख सहने की शक्ति प्रदान करें।

*श्री हरीदास–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कांशीराम जी ने तीन संगठनों के माध्यम से दलितों, पिछड़ों और अल्प संख्यकों की सेवा की। मान्यवर, 14 अप्रैल, 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की तथा लम्बे समय तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। मान्यवर, 1991 एवं 1996 में होशियारपुर से सांसद चुने गये। वर्ष 2003 में ब्रेन हेमरेज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होने के कारण बीमार हो गये। दलितों के मसीहा माननीय कांशीराम जी 08 अक्टूबर, 2006 को रात्रि 12 बजकर 20 मिनट पर दिल्ली में स्वर्ग सिधार गये।

मान्यवर, कांशीराम जी ने करोड़ों-करोड़ देश के दबे कुचले लोगों की, उनके हक और हकूक की लड़ाई लड़ी, लेकिन खेद का विषय है कि उनको केवल अनुसूचित जाति का ही नेता मानते हैं। उन्होंने केवल दलितों का ही नहीं बल्कि पिछड़ों, अल्प संख्यकों के लिए भी आवाज उठाई और उन्हें उनका हक दिलवाया। उन्होंने सवर्णों के हक के लिए आवाज उठाई और समता मूलक समाज की स्थापना की। मान्यवर, आज माननीय कांशीराम जी को श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब मौजूद हैं। आज उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम उनके बताये रास्ते पर चलें ताकि हर समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिल सके।

श्री नारायण पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, आज हम सब लोग एक ऐसे विषय पर विचार कर रहे हैं, जिसको हम सब लोग जानते हैं। मान्यवर, माननीय कांशीराम जी का पूरे हिन्दुस्तान में, जिन्होंने शोषित, कमजोर, उपेक्षित लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके दुःख दर्द को जानने के लिए उन्होंने पूरे देश में प्रयास किये। मान्यवर, आज हम यह कहें कि वे केवल दलितों के नेता हैं तो यह सही नहीं है।

मान्यवर, माननीय कांशीराम जी का जन्म 1934 में हुआ था। माननीय कांशीराम जी भारत की राजनीति में बहुत सशक्त व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आये, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी किसी पद पर सुशोभित नहीं किया। मान्यवर, भारत की राजनीति में वे मेम्बर ऑफ पार्लियामेन्ट रहे, लेकिन समय-समय पर उन्होंने कई बार दूसरे लोगों को बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठाकर उनके माध्यम से हिन्दुस्तान के जो करोड़ों छोटे तबके के लोग हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने काम किया इसकी कोई मिसाल नहीं है। मान्यवर, माननीय भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा होगा उसे सही से क्रियान्वित करने के लिए माननीय कांशीराम जी ने जो प्रयोग किये उसे हम सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं।

मान्यवर, बड़े दुःखद वक्त में मैं बी0एस0पी0 और सदन की ओर से कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता-मरता था माननीय कांशीराम जी अमर रहेंगे। जिनकी आवाज सदियों से दबी थी उन्होंने उस आवाज को आगे बढ़ाया। मान्यवर, मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि उत्तरांचल की राजधानी देहरादून में माननीय कांशीराम जी की मूर्ति लगे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने, माननीय ऐरी जी ने, माननीय हरिदास जी ने, माननीय नारायण पाल जी ने, दिवंगत राष्ट्र नेता माननीय

कांशीराम जी के प्रति जो दुःख उद्‌गार और भावना व्यक्त की है मैं भी उससे अपने को जोड़ता हूँ, सम्बद्ध करता हूँ।

स्वर्गीय कांशीराम जी ने हरिजन परिवार में जन्म लिया और उन्होंने गरीबी की पीड़ा को नजदीक से देखा और संकल्प लिया कि जो समाज में पिछड़ा है, जिसका लगातार शोषण होता रहा है, अभाव और गरीबी में जो जीवन–यापन कर रहा है, समानता से कोसों दूर है, उसके लिए निरन्तर अपने आखिरी क्षणों तक प्रयास किया, आज वे हमारे बीच में नहीं हैं लेकिन उनके विचार हमारे बीच में हैं। आज उन्हें एक समुदाय या जाति से जोड़ना उचित नहीं होगा। जो उन्होंने समता मूलक समाज की परिकल्पना की थी आज हम सब का दायित्व है कि उससे हम प्रेरणा लें उस समाज के लिए जिनका कोई नहीं है, जो असहाय, कमजोर, निर्धन हैं। हम सब का कर्तव्य बनता है कि उनके विचारों को मानें।

सभी माननीय सदस्यों ने, माननीय नेताओं ने अपनी जो भावनायें यहाँ पर व्यक्त की हैं उन भावनाओं को, संवेदनाओं को स्वर्गीय कांशीराम जी के परिजनों तक पहुँचाने का कार्य करेंगे और जैसा कि माननीय नारायण पाल जी ने कहा है कि उनकी मूर्ति की स्थापना हो, तो हम उसके लिए आपकी भावना को सरकार तक पहुँचाने का कार्य करेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूँगा कि माननीय कांशीराम जी की आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट का मौन रखें।

(तत्पश्चात् सभी माननीय सदस्य दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट को मौन खड़े हुये।)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की माननीय सदस्य श्रीमती सरस्वती तिवारी जी के निधन पर शोकोद्‌गार

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, माननीय स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती तिवारी जी उत्तर प्रदेश विधान सभा में दो बार विधायक रहीं। उनका जन्म 05 जुलाई, 1926 को भवाली जनपद नैनीताल में हुआ था। उनके परिवार में तीन पुत्री एवं एक पुत्र है। विधायक के रूप में इनका सबसे सम्पर्क रहा यह समाज सेवा में संघर्षशील रहीं। हमने भी इन्हें व्यक्तिगत रूप से देखा। ये हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिए और लोगों का काम करने के लिए सचिवालय में लगातार जाती रहती थीं। यह विकास के लिए बहुत ही समर्पित थीं। यह अपने क्षेत्र के विकास की बातें और वहाँ की समस्याओं को विधान सभा के अन्दर और बाहर सदैव उठाती रहती थीं। एक समर्पित कांग्रेस की एक मजबूत सेविका होने के नाते वह अपना कार्य करती रहीं। उनकी अंत्येष्टि में पक्ष और विपक्ष के सभी नेता शामिल हुए थे, मुझे भी उनकी अंत्येष्टि में शामिल होने का अवसर मिला। वह 79–80 वर्ष की थीं। उनको देखने से ऐसा नहीं लगता था कि वह इतने साल की हैं। वह अपने क्षेत्र के लिए संघर्ष करती रहीं, वह विभिन्न संस्थानों से जुड़ी रहीं। वह हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए चिन्तित रहती थीं।

श्रीमती सरस्वती तिवारी जी का जीवन सादगीपूर्ण था एवं उत्तराखण्ड राज्य का चहुंमुखी विकास हो, यही उनका सपना था। दिनांक 08 मई, 2006 को प्रातः 3 बजे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में उनका देहावसान हो गया। हम उनके परिवार के लिए अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं और मैं अपनी ओर से और अपनी पार्टी के सम्मानित सदस्यों की ओर से आपसे निवेदन करती हूँ कि स्वर्गीय सरस्वती तिवारी जी के परिवार तक हमारी संवेदना भेजने की कृपा करें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती तिवारी जी का जन्म 05 जुलाई, 1926 को भवाली जनपद नैनीताल में हुआ था। उनके पति का नाम श्री चन्द्र शेखर तिवारी है। इनके परिवार में तीन पुत्री एवं एक पुत्र है। श्रीमती तिवारी समाज सेवा में संघर्षशील रहीं। उन्होंने इन्टरमीडिएट तक की शिक्षा ग्रहण की तथा वह 1977 में जिला परिषद् अल्मोड़ा की सदस्य रहीं। वह 1985 और 1989 में बारामण्डल अल्मोड़ा से विधायक चुनी गईं। उन्होंने उत्तरांचल के चहुंमुखी विकास के लिए संघर्ष किया और यह उनका सपना था। दुर्भाग्य से उनका 08 मई, 2006 को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में देहावसान हो गया। मान्यवर, मैं और मेरा दल इस दुखद घटना पर स्वर्गीय तिवारी के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए आपसे प्रार्थना करता है कि मेरी और हमारे दल की भावनाओं को उनके परिवार तक पहुँचाने का कष्ट करें।

श्री हरीदास–

मान्यवर, स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती तिवारी जी का निधन 08 मई, 2006 को हो गया है, हम बड़े दुःखी हैं। माननीय अध्यक्ष जी ये सन् 1985 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्य रहीं और अनेकों बार इन्होंने समाज सेवा के रूप में कार्य किया। श्रीमती तिवारी जी के निधन पर मान्यवर, मैं अपने दल की ओर से, सभी साथियों की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। मेरे विचार उनके परिवार तक पहुँचा दिये जायें।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती सरस्वती तिवारी जी के निधन पर जो भावनाएं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने, माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता बहुजन समाज पार्टी ने व्यक्त की हैं, उनसे मैं अपने को और अपने दल को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूँ जैसा कि माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि हममें से बहुत सारे साथी हैं जो उनके साथ पहली बार विधान सभा में गये। मुझे भी उनके साथ काम करने का अवसर मिला। वे समाज सेवा में बहुत संलग्न थीं, उनके साथ ही साथ जब सक्रिय राजनीति में पहली बार वे विधायक चुनकर आयीं तो बहुत जल्दी किस तरह से राजनीति को समाज सेवा के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए प्रयोग किया जाता है, यह उन्होंने सीख लिया था। मैं भी 1985 में पहली बार विधायक चुनकर गया था। मैं

उस समय 32 साल का था और वे शायद 56–57 की रही होंगी, लेकिन जहां–जहां, जिस दफ्तर में मैं जाता था तो श्रीमती सरस्वती तिवारी जी मुझे वहां आते–जाते जरूर दिख जाती थीं। वे इतनी कर्मठ महिला थीं। मुझे याद है मैं कहा करता था कि मैं जहां–जहां जाता हूँ, आप भी वहां आ जाती हैं। उनका सिर्फ नाम ही सरस्वती नहीं था, उनकी वाणी भी बहुत अच्छी थी। जैसा कि हम लोग अपने बड़े नेताओं के प्रति कह देते हैं, शिकायत करते हैं कि यह काम नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने कभी भी किसी की आलोचना का शब्द उनके मुख से नहीं सुना। उनके प्रति जितना भी कहा जाये, कम है। वे दो बार उत्तर प्रदेश विधान सभा में विधायक रहीं। उनका सब लोग सम्मान करते थे।

एक बात और उनमें थी, लोग कभी–कभी राजनैतिक भेदभाव भी बरतते हैं, लेकिन उनमें इसकी गुन्जाइश नहीं थी। स्व0 विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी ने द्वाराहाट में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का बड़ा प्रयास किया तो उनका सर्वाधिक सहयोग अगर किसी ने किया तो वह श्रीमती सरस्वती तिवारी जी ने किया। स्व0 विपिन चन्द्र त्रिपाठी जी ने इसका कई बार जिक्र भी किया है। विकास के लिए राजनैतिक बाधाएं न मानकर जनसेवा करना, जनता के दुख दर्द की बात करना, यह उस महिला में कूट–कूट कर भरा था। हालांकि वे उम्र पूरी करके गयीं, लेकिन अच्छा होता कि वे कुछ दिन और रहतीं, समाज की और सेवा होती। जैसा कि हम सभी जानते हैं लेकिन विधि–विधान तो अपनी जगह है। आज वह हमारे बीच में नहीं रहीं। उन जैसी आदर्श महिला की भरपाई हो पाना बहुत मुश्किल होगा। मैं अपने और अपने दल की ओर से अपनी शोक संवेदना प्रकट करता हूँ और आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूँ कि उनके परिवार तक हमारी शोक संवेदना पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, श्रीमती सरस्वती तिवारी जी के निधन का समाचार बहुत ही दुखद समाचार है और यही विधि का विधान है कि जो व्यक्ति जन्म लेता है उसे एक दिन जाना भी होता है। स्व0 सरस्वती तिवारी जी मेरे गृह क्षेत्र से 2 बार विधायक रहीं। मेरे जिले से दो बार विधायक रहीं। आज जिस क्षेत्र में मैं विधायक हूँ उस क्षेत्र से भी वह दो बार विधायक रहीं इसलिए बचपन से लेकर अब तक मेरा उनसे काफी जुड़ाव रहा था।

मान्यवर, जैसा माननीय ऐरी जी ने भी कहा कि उनमें दलगत भावना नहीं थी, वह सही है। कई बार मेरी उनसे मुलाकात होती रहीं। हम लोग उस समय छोटे ही थे वे हमसे उम्र में काफी बड़ी थीं और बचपन में बच्चे उच्छंखल होते ही हैं। जब हम लोग इण्टर कर बी0ए0 में आये तो उन्होंने एक बार मुझे अलग बुलाकर कहा कि "अजय तुम गुस्सा कम किया करो।" वह बहुत ही सौम्य और विनम्र स्वभाव की थीं। मैं लगातार उनसे मिलता रहता था, बाद में मैं विधायक बना और बाद में मंत्री भी बना तो उस समय उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि "अजय तुमने अब अपने

आपको बहुत संभाल लिया है।" उनकी प्रेरणा, उनकी मुस्कुराहट और उनकी विनम्रता हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। जब मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा का सदस्य था तो वे वहां पर भी आती थीं और हमें बताती थीं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, सदन में किस प्रकार से काम करना चाहिए। कई बार होता यह है कि आदमी जब किसी पद पर पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि मैं ही सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। लेकिन जो आदमी का तजुर्बा होता है, अनुभव होता है, वही महत्वपूर्ण होता है और उसी का हमें अनुकरण करना चाहिए।

आज वह हमारे बीच में नहीं रहीं, जो कि दुखद घटना है। यदि वह कुछ समय और जीवित रहतीं तो समाज की और अधिक सेवा कर सकती थी। मान्यवर, यह मेरी उनको श्रद्धांजलि है और माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उनके शोक संतप्त परिवार तक मेरी श्रद्धांजलि पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, नेता प्रतिपक्ष, नेता बहुजन समाज पार्टी, माननीय नेता उत्तराखण्ड क्रान्ति दल और माननीय सदस्य श्री अजय भट्ट जी ने स्वर्गीय श्रीमती सरस्वती तिवारी जी के निधन पर अपने जो विचार व्यक्त किये हैं, मैं उनसे अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। निश्चित रूप से श्रीमती सरस्वती तिवारी जी एक सौम्य, सरल और संकल्पशील व्यक्तित्व की महिला थीं। मुझे भी उनके साथ वर्ष 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश विधान सभा में कार्य करने का अवसर मिला और उनसे भी कुछ सीखने का अवसर प्राप्त हुआ था।

माननीय ऐरी जी ने जैसे कहा कि वह शरीर से बहुत कमजोर थीं, लेकिन उनका आत्म बल बहुत मजबूत था। दृढ़तापूर्वक वे समाज के विकास के लिए प्रयासरत रहती थीं। मैंने देखा था कि वह दृढ़तापूर्वक उत्तरांचल के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्य करती रहती थीं। जीवन के आखिरी समय तक भी वह निरन्तर जनता की सेवा करती रहीं। यदि कुछ समय वे हमारे बीच में रहतीं तो क्षेत्र के विकास के लिए वह अपना योगदान देतीं। निश्चित रूप से मुझ पर उनका स्नेह रहा है, यह मेरा उनके प्रति आभार भी है। यह विधि का विधान है, इसको रोक पाने में हम सब सक्षम हैं। लेकिन अपने क्षेत्र और समाज के विकास कार्यों में उनकी जो भूमिका रही, उन्होंने जो योगदान दिया, उनको हम, यह समाज और यह राज्य कभी नहीं भूल सकते हैं। वे हमारे लिए हमेशा अविस्मरणीय रहेंगी।

इस अवसर पर माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय हरीदास जी, माननीय काशी सिंह ऐरी जी तथा माननीय अजय भट्ट जी ने जो उद्‌गार यहां पर प्रकट किये, जो भावनाएं व्यक्त कीं। मैं आप सबकी भावनाओं और उद्‌गारों को उनके परिवार तक पहुँचाने का प्रयास करूँगा। अब दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए हम दो मिनट मौन खड़े होंगे।

(सभी सदस्य दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए दो मिनट को मौन खड़े हुये।)

नियम 300 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अन्तर्गत श्री प्रकाश पंत, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल, श्री हरबंस कपूर, श्री विशन सिंह चुफाल, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्री अनिल नौटियाल, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्रीमती आशा नौटियाल तथा डा० नारायण सिंह जंतवाल की कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से श्री प्रकाश पंत, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री हरबंस कपूर, श्री विशन सिंह चुफाल, श्री अनिल नौटियाल, श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा डा० नारायण सिंह जंतवाल की सूचनाओं को नियम 300 के अन्तर्गत स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

पिथौरागढ़ बस स्टेशन के निकट दि0 19–09–06 को अग्निकांड से हुई क्षति के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, दिनांक 19–09–06 की सायं 5.30 बजे नगर पालिका परिषद् पिथौरागढ़ क्षेत्रान्तर्गत गोल मार्केट (नांगा होटल) परिसर में अज्ञात कारणों से भयंकर अग्निकांड हो गया। जिसे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड, आई0टी0बी0पी0, सेना तथा स्थानीय जनता द्वारा अत्यन्त कठिनाई से नियंत्रित किया गया। अग्निकांड के कारण 58 दुकानें जिसमें 12 आवासीय मकान भी सम्मिलित हैं, पूर्ण तथा आंशिक रूप से प्रभावित हो गये हैं। प्रभावित समस्त परिवारों के समक्ष रोजी–रोटी की समस्या उत्पन्न हो गई है। आवासीय मकानों में रहने वाले सभी 12 परिवार पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं। उनके समक्ष आवास तथा जीवन यापन का संकट उत्पन्न हो चुका है।

जिला प्रशासन द्वारा अग्निकांड के सम्बन्ध में शासन को प्रेषित रिपोर्ट में 81.73 लाख रुपये की क्षति होने का अनुमान लगाया है। परन्तु आज तक प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा आजीविका प्रबन्धन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्त्व के तात्कालिक प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये अग्निकांड प्रभावित समस्त परिवारों तथा दुकानदारों को उनकी क्षति के अनुरूप सहायता स्वीकृत करने तथा प्रभावित व्यक्तियों का पुनर्वास करने की सरकार से मांग करता हूँ।

रुद्रप्रयाग के पट्टी पूर्वी बांगर आदि में विद्युतीकरण न होने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

मान्यवर, जनपद रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत पट्टी पूर्वी बांगर के ग्राम उछोला, माथगांव, घंगासू, बक्सीर, भेडारु, भुनालगांव, डांगी, खोड अभी तक विद्युतीकरण से

वंचित हैं। दस वर्ष पूर्व इनके विद्युतीकरण का प्रस्ताव रखा गया था। विभाग इन ग्रामों के विद्युतीकरण में लापरवाही कर रहा है। जबकि सरकार का संकल्प 2005 तक हर घर को बिजली देना था। विभाग द्वारा झूठा आश्वासन हर वर्ष दिया जाता है।

अतएव मैं चाहूँगा कि विद्युत विभाग उक्त पट्टी पूर्वी बांगर रुद्रप्रयाग में तत्काल विद्युतीकरण का कार्य शीर्ष प्राथमिकता देकर करें।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री हरबंस कपूर का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

पिथौरागढ़ के भुजगढ़ नदी पर तटबन्ध बनाने की कार्यवाही न होने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्री बिशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ के भुजगढ़ नदी से बांसबगड़, खेतभराड़, तल्ला भैसकोट, दुलिया, बगड़, हुपली, सौरमला ग्रामों की खेती योग्य भूमि प्रतिवर्ष कटती जा रही है, जिस कारण मकानों का खतरा बना हुआ है। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों द्वारा बराबर तटबन्ध बनाने की मांग की गयी है। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, जनता आक्रोशित है।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रभावी कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूँ।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्री अनिल नौटियाल का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थे।)

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत कांडी लक्ष्मण झूला मोटर मार्ग का निर्माण कार्य गुणवत्ता के अनुरूप पूर्ण न किये जाने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर की लक्ष्मणझूला कांडी मोटर मार्ग 5 कि0मी0 सी0आर0एफ0 से एवं 24 कि0मी0 मार्ग राज्य योजना से स्वीकृत है। विगत दो वर्षों से इसमें निर्माण कार्य हो रहा है। निर्माण कार्य में विलम्ब होने के कारण इस क्षेत्र की जनता को आने–जाने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। साथ ही निर्माण कार्य घटिया स्तर का हो रहा है, कई जगहों में सड़क पर गड्ढे पड़ गये हैं। निर्माण कार्य की गुणवत्ता का ध्यान सम्बन्धित विभाग के द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिस कारण सड़क निर्माण में धन का दुरूपयोग हो रहा है। यदि समय रहते सड़क निर्माण की ओर ध्यान न देते हुए निर्माण कार्य कराया गया तो इससे बहुत अधिक धनहानि होगी।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर सदन का ध्यानाकर्षित करते हुए उचित कार्यवाही की मांग करती हूँ।

एल0टी0 संवर्ग के विज्ञान विषय में कॉम्बिनेशन की अनिवार्यता के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

दिनांक 10–8–2006 को शिक्षा विभाग द्वारा एल0टी0 संवर्ग के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। लेकिन इस विज्ञप्ति में विषय कॉम्बिनेशन की अनिवार्यता से हजारों बी0एड0 प्रशिक्षितों का भविष्य अधर में लटक गया है।

इस नई पद्धति के अनुसार जीव विज्ञान व विज्ञान का पद एक कर दिया गया है और विषय अनिवार्यता जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान किया गया है। जिन स्नातक बी0एड0 प्रशिक्षितों ने जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के साथ अन्य विषय जैसे वानिकी, भूगर्भ आदि विषयों के साथ स्नातक किया है उनको भी बराबर का अवसर दिया जाना चाहिए। जैसा कि पूर्व में भी जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व वानिकी आदि के स्नातकों का नियुक्ति दी गई है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए नौजवानों से जुड़े इस विषय पर प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूँ।

जनपद देहरादून में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं की अनियमित आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें गरीब एवं निर्बल वर्ग को सस्ता खाद्यान्न उपलब्ध कराने की दृष्टि से खोली गयी हैं तथा जिनमें लाखों गरीब परिवार सस्ते खाद्यान्न को लेकर अपने परिवार का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करते हैं। ऐसे में गत कुछ महीनों से देहरादून जनपद की खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गयी है तथा कई–कई महीनों तक राशन एवं मिट्टी का तेल, चीनी आदि उपलब्ध न होने के कारण गरीब जनता के सम्मुख भुखमरी की स्थिति उत्पन हो गयी है।

महोदय, एक ओर तो मंहगाई ने आम आदमी की कमर वैसे ही तोड़ रखी है दूसरी ओर सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के खाली रहने से जहां गरीब आदमी का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया है वहीं इन दुकानों की सार्थकता पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है।

मान्यवर, यह भी उल्लेखनीय है कि सितम्बर एवं अक्टूबर माह के दौरान अधिकांश त्यौहार जैसे नवरात्र, दूर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, ईद, भैया दूज आदि प्रमुख त्यौहार पड़ते हैं ऐसे में एक ओर त्यौहारों का बढ़ता खर्च, उस पर मंहगा राशन खरीदने की मजबूरी आम आदमी की स्थिति को बद से बदतर बना रही है।

---

*वक्ताओं ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद चमोली में कर्णप्रयाग वि0खं0 के अन्तर्गत ईडा–बधाणी, चौण्डली आदि गांवों को भूमि कटाव से खतरा उत्पन्न होने के सम्बन्ध में नियम 300 के अन्तर्गत सूचना

*श्री अनिल नौटियाल–

[मान्यवर, जनपद चमोली में कर्णप्रयाग विकास खण्ड के अन्तर्गत ईडा–बधाणी एवं चौण्डली आदि गाँवों को भूमि कटाव होने से खतरा बना हुआ है जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिस कारण क्षेत्रवासी दहशत में जीने को मजबूर हैं, कई बार शासन प्रशासन से आग्रह करने के बाद भी इस दिशा में कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की गयी है, जिससे क्षेत्रवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोकमहत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर शीघ्र कार्यवाही की माँग करता हूँ।]

उत्तरांचल गैर अल्प संख्यक अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनियम) अध्यादेश, 2006

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल गैर अल्पसंख्यक अनानुदानित निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं (प्रवेश तथा शुल्क निर्धारण विनिमय) अध्यादेश, 2006 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

द्वितीय राज्य वित्त आयोग उत्तरांचल का प्रतिवेदन (2006–11)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243झ(4) तथा 243म(2) के अन्तर्गत द्वितीय राज्य वित्त आयोग, उत्तरांचल का प्रतिवेदन (2006–11) एवं उस पर स्पष्टीकारक ज्ञापन को सदन के पटल पर रखती हूँ।

पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि पतंजलि विश्वविद्यालय विधेयक, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 04 अप्रैल, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 अप्रैल, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2006 का चौथा अधिनियम बन गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 03 अप्रैल, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2006 का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2006

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर अधिनियम, 2000) अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002 (संशोधन) विधेयक, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 03 अप्रैल, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 04 अप्रैल, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2006 का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 2006

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल) (अनर्हता निवारण) अधिनियम, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 04 अप्रैल, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 05 अप्रैल, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2006 का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा विधेयक, 2006

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल विद्यालयी शिक्षा विधेयक, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 अप्रैल, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2006 का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2006

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल (विधान सभा सदस्यों, मंत्रियों तथा अधिकारियों की उपलब्धियां और पेंशन) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 19 अप्रैल, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 अप्रैल, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2006 का नवां अधिनियम बन गया।

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2006

सचिव, विधान सभा–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से घोषित करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2006 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 20 अप्रैल, 2006 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 22 अप्रैल, 2006 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2006 का दसवां अधिनियम बन गया।

श्री काशी सिंह ऐरी, श्री नारायण सिंह जंतवाल एवं श्री पुष्पेश त्रिपाठी मा0 सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष–

जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, नैनीताल ने अपने फैक्स सन्देश संख्या एलआईयू/एम–2(डेली)/06, दिनांक 09 अक्टूबर, 2006 के द्वारा सूचित किया है कि श्री काशी सिंह ऐरी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल एवं श्री पुष्पेश त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दिनांक 09 अक्टूबर, 2006 को गिरफ्तार किया गया तथा उसी दिन 09 अक्टूबर, 2006 को मौके पर ही हिदायत के साथ रिहा कर दिया गया।

जनपद पिथौरागढ़ में काली विनायक पुरानाथल ताड़ीगांव मार्गों का स्पेशियल कम्पोनेंट प्लान के तहत डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री विशन सिंह चुफाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद पिथौरागढ़ में काली विनायक पुरानाथल ताड़ीगांव मार्गों का स्पेशियल कम्पोनेंट प्लान के तहत डामरीकरण किये जाने के सम्बन्ध में" श्री जीवन चन्द्र पाठक एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद पौड़ी के ग्राम सभा बैरागढ़ वि0खं0 यमकेश्वर के इडिया गघेरा, कुत्यारत्न, काण्डवाल सेरा तोक में सिंचाई विभाग कोटद्वार द्वारा लघु सिंचाई से गूलों का निर्माण न किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद पौड़ी के ग्राम सभा बैरागढ़ वि0खं0 यमकेश्वर के इडिया गघेरा, कुत्यारत्न, काण्डवाल सेरा तोक में सिंचाई विभाग कोटद्वार द्वारा लघु सिंचाई से गूलों का निर्माण न किये जाने के सम्बन्ध में" श्री महिमानन्द भटकोटी एवं अन्य निवासीगण, जनपद पौड़ी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करती हूँ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) द्वारा संचालित परीक्षाओं को उत्तरांचल में मान्यता दिए जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री प्रकाश पन्त–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) द्वारा संचालित परीक्षाओं को उत्तरांचल में मान्यता दिए जाने के सम्बन्ध में" श्रीमती सोना विश्वकर्मा एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत दुर्गापुर पेयजल स्रोत के सुधारीकरण एवं विस्तारीकरण के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद नैनीताल के विकास खण्ड भीमताल के अन्तर्गत दुर्गापुर पेयजल स्रोत के सुधारीकरण एवं विस्तारीकरण के सम्बन्ध में" श्री भुवन सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

जनपद नैनीताल के वि0खं0 भीमताल के अन्तर्गत पौराणिक स्थल छोटा कैलाश धार्मिक स्थल के विकास के सम्बन्ध में याचिका

श्री नारायण सिंह जन्तवाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद नैनीताल के वि0खं0 भीमताल के अन्तर्गत पौराणिक स्थल छोटा कैलाश धार्मिक स्थल के विकास के सम्बन्ध में" श्री उमेश पलड़िया एवं अन्य निवासीगण, जनपद नैनीताल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

कार्य–मंत्रणा समिति की सिफारिश

श्री अध्यक्ष–

कार्य–मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 09 अक्टूबर, 2006 की बैठक में दिनांक 10 अक्टूबर, 2006 से दिनांक 11 अक्टूबर, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है:–

<u>अक्टूबर, 2006</u>

10 मंगलवार	(1) औपचारिक कार्य;
	(2) निधन के निदेश।
11 बुद्धवार	वित्तीय वर्ष 2006–2007 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों का प्रस्तुतीकरण (04.00 बजे अपराह्न)

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य–मंत्रणा समिति की जो सूचना माननीय अध्यक्ष जी ने सदन में दी है से यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री गगन सिंह, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा श्री संतोष कुमार शील, जिला शिक्षा अधिकारी, पिथौरागढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन की सूचना

श्री गगन सिंह–

मान्यवर, दिनांक 21–09–2006 को मैं अपने क्षेत्र की शिक्षा की समस्याओं को लेकर श्रीमती शकुन्तला दताल, क्षेत्र पंचायत सदस्य, श्री हरीश ब्रजवाल, क्षेत्र पंचायत सदस्य, श्री जगजीवन सिंह कन्याल, जिला पंचायत सदस्य, पिथौरागढ़ के साथ श्री संतोष कुमार शील, जिला शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ के कार्यालय में गया तथा मैंने अपने क्षेत्र की शिक्षा विभाग की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया, उन्होंने मेरे साथ अभद्र व्यवहार तथा असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और मुझे धक्का देकर बाहर धकेला। जिससे मेरे सम्मान को धक्का लगा तथा मेरे विशेषाधिकार का हनन हुआ। मान्यवर, यह अत्यन्त गम्भीर विषय है यह गगन रजवार का विषय नहीं यह सीधे सम्मानित सदस्यों और सीधे सदन की अवहेलना का विषय है। मान्यवर, मैं अनुरोध

करता हूँ कि इस भ्रष्टाचार अधिकारी के प्रति कठोर कार्यवाही की जाये, कठोर कार्यवाही यही नहीं होता कि उनका ट्रांस्फर कर दिया जाए बल्कि उनको तुरन्त सर्विस से सेवानिवृत्त किया जाए या कहीं और डाइट में/प्रधानाचार्य अटैच किया जाए।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह तो बहुत गम्भीर मामला है, विशेषाधिकार तो बाद में आयेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसका परीक्षण करा लिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री नारायण राम आर्य–

मान्यवर, पिथौरागढ़ जनपद का विधायक हूँ मुझे भी दो शब्द बोलने की अनुमति दी जाए।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें। (व्यवधान)

श्री सुबोध उनियाल–

मान्यवर, यह अन्तिम सत्र है, मेरा भी एक विशेषाधिकार का मामला लम्बित पड़ा हुआ है। जिस पर आपका निर्देश आना अपेक्षित है।

*श्री रणजीत सिंह रावत–

मान्यवर, इस पर तत्काल कार्यवाही कर दी जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, माननीय गगन रजवार जी को जितना सुना उतना तो विशेषाधिकार का स्पष्ट मामला है। मान्यवर, भले ही नये निर्वाचित सदस्य हों, सीधे–सादे हों, बहुत ज्यादा संसदीय नियमों की जानकारी न हो, लेकिन विधायक होने के नाते अधिकारियों का आचरण मर्यादित होना चाहिए। मान्यवर, मैं दण्डित करने के पक्ष में हूँ और विशेषाधिकार के रूप में लायेंगे।

श्री अध्यक्ष–

जल्द ही निर्णय आ जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएँ

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 58 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं इनमें से नियम 310 के अन्तर्गत मा0 सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री प्रकाश पंत, श्री अजय भट्ट, श्रीमती आशा नौटियाल आदि की सूचना को नियम 58 में सुन रहा हूँ। श्री अजय भट्ट, श्री पुष्पेश त्रिपाठी, श्रीमती विजय बड़थ्वाल तथा श्री प्रीतम सिंह पंवार की सूचना जो राज्य में परिसीमन भौगोलिक आधार पर किये जाने अथवा यथावत् रखे जाने की मांग को लेकर उत्तराखण्ड क्रांति दल के संरक्षक श्री दिवाकर भट्ट द्वारा प्रारम्भ किये गये आमरण अनशन के सम्बन्ध में है। परिसीमन का कार्य राज्य के अधिकार क्षेत्र का नहीं है तथापि शासन श्री दिवाकर भट्ट के आमरण अनशन को देख ले।

*श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, श्री दिवाकर भट्ट जी 09 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है, उनका स्वास्थ्य गिर रहा है। शासन और प्रशासन बेखबर है, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, इसको हल्के से लिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें। मैं शासन से आग्रह करूँगा कि इसे गम्भीरता से देख लें। कृपया आप बैठिये।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, उनकी जान खतरे में है, वे राज्य के जनक हैं। मान्यवर, इस गम्भीर स्थिति को समझना चाहिए, पूरा पहाड़ जल रहा है, अगर उनको कुछ हो गया तो असमान्य स्थिति हो जायेगी। पूरे राज्य के अन्दर गम्भीर स्थिति बनी हुई है, इसको सरकार हल्के में ले रही है।

श्री अध्यक्ष–

यह परिसीमन का कार्य राज्य के अधिकार क्षेत्र में नहीं है। आपने कहा कि वे आमरण अनशन पर बैठे हैं, गम्भीर स्थिति है। इस पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ कि इसे गम्भीरता से देख ले।

श्री प्रीतम सिंह पंवार–

मान्यवर, मैं बिल्कुल नहीं मानूँगा, इस मामले पर चर्चा करायी जानी चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने सदाशयता का परिचय देते हुए नियमों का निलम्बन करके हमारी बात सुनने का जो आग्रह हमसे किया था उसे आपने नियम 58 में परिवर्तित करके सुनने के लिए अपनी व्यवस्था दी है। यह विषय जो आपके संज्ञान में और सम्मानित सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री माननीय श्री नित्यानन्द स्वामी जी अपनी पूर्व घोषित घोषणा के पश्चात् 09 अक्टूबर, 2006 से प्रातः 09 बजे से अनशन पर बैठ चुके हैं, वह इतने अशक्त हैं, वृद्ध हैं, लेकिन उनसे उस क्षेत्र की जनता की पीड़ा नहीं देखी जा सकी और जिसे देखते हुए श्रीमन् उन्होंने उस क्षेत्र की जनता की भावनाओं के अनुरूप अपना अनशन पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार प्रारम्भ किया। उनकी शारीरिक स्थिति यह अनुमति नहीं देती कि वह अनशन करें। श्रीमन् लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, इस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री होने के नाते, जब राज्य की मौजूदा सरकार ऐसी नीतिगत निर्णय लेने लगेगी जिन नीतिगत निर्णयों में इस राज्य की जनता को ही विस्थापित कर दिया जायेगा तो निश्चित रूप से यह पीड़ा उम्र को भी नहीं देखती और उम्र की उस दहलीज पर बैठे हुए माननीय नित्यानन्द स्वामी जी ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब विषय यह उठता है श्रीमन् कि आखिर ऐसा कठोर निर्णय और किसी भी आन्दोलन की चरम सीमा पर पहुँच कर लिया जाने वाला निर्णय इस राम्य के उस वृद्ध नेता को क्यों लेना पड़ा।

सवाल यह पैदा होता है कि जिस क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करने की बात चल रही है उस क्षेत्र में 30 गाँवों की 637.67 हेक्टेयर भूमि। मान्यवर, ऐसी भूमि जिसमें कृषि कार्य होता था, ऐसी भूमि जिसमें टिहरी के विस्थापित, प्रभावित परिवारों को बसाया गया था, ऐसी भूमि जिसमें पूर्व सैनिक रहते हैं, और जो छोटी–छोटी भूमि अपने निजी संसाधनों से जुटा करके खरीदी थी। श्रीमन् वो अपना जीवनयापन और अपना वहां पर निवास कर रहे हैं और इस भूमि को अधिग्रहण करने की सूचना सरकार के द्वारा जारी होती है और फिर उसके बाद जब माननीय नित्यानन्द स्वामी जी अनशन पर बैठ जाते हैं तो आनन–फानन में बिना नियमों को देखे हुए बिना संसदीय परम्पराओं को देखे हुए, संविधान की अवहेलना करते हुए राज्य के इस विधान सभा के सम्मानित दो सदस्य जिसमें से एक सरकारी सदस्य हैं और एक असरकारी सदस्य हैं, उनके माध्यम से यह प्रचारित किया जाता है कि मंत्रिमण्डल की सहमति मिल चुकी है और उस मंत्रिमण्डल की सहमति के आधार पर उन 30 गांवों से 24 गांवों को अवमुक्त कर दिया गया है, उस अधिग्रहण से अवमुक्त कर दिया गया है और यह कहा गया कि यह जो 4 सदस्यों की कमेटी है यह मंत्रि–परिषद् की कमेटी है। श्रीमन्, मंत्रि–परिषद् की कमेटी उसमें माननीय मंत्रीगण रहते हैं। असरकारी सदस्य मंत्रि–परिषद् की समिति में सम्भवतः नहीं रहते हैं। हो सकता है कि इस सरकार ने बनायी हो तो मैं नहीं कह सकता।

लेकिन उस कमेटी द्वारा यह घोषित किया गया जबकि एक दिन पहले मंत्रि–परिषद् के निर्णयों को राज्य की जनता के सम्मुख लाया गया था उन निर्णयों में कहीं से कहीं तक कोई विषय इस भूमि अधिग्रहण के सम्बन्ध में नहीं था और फिर जिन 6 गांवों को लेने की बात हुई उसमें रायपुर, ब्राहमणवाला, माजरा, धोरणपुरखास, तरलानागल और कारगी इन 6 गांवों की जमीन लेने की बात एम0डी0डी0ए0 कर रहा है और जिसकी घोषणा, उद्घोषणा इन सम्मानित सदस्यों द्वारा समाज के सम्मुख की गयी श्रीमन्। और जो तीन महत्वपूर्ण निर्णय, नीतिगत निर्णय इस समिति द्वारा लिये गये, उन निर्णयों में यह कहा गया कि जो भूमि क्रय की गयी है, पहले एम0डी0डी0ए0 ने अधिग्रहण करने के लिए जो 30 गांवों से भूमि क्रय की है, उसका पैसा ये वापिस कर देंगे। ये समिति ने अपनी उद्घोषणा की। दूसरा श्रीमन् इन्होंने यह कहा कि अब यह पैसा जो इन्होंने वसूल किया है जिन लोगों से भूमि देने के नाम पर तो उस पैसे का ब्याज सरकार उठायेगी उसका जो ब्याज और प्रतिकर का जो अधिभार पड़ रहा है वह सरकार उठायेगी, वह एम0डी0डी0ए0 नहीं देगा। यह बात उन्होंने कही श्रीमन्। और जो इस भूमि को लेने के बाद इन छः गांवों के जो लोग भूमिहीन हो जायेंगे, उनको उस भूमि के बदले भूमि दी जायेगी यह उद्घोषणा की गयी। यह नीतिगत विषय इस समय राज्य की जनता के सम्मुख आ खड़ा हुआ है कि इस सरकार ने इन पांच वर्षों में कितनी कृषि भूमि को इस प्रकार के आवासीय परिसर बनाने के लिए उपयोग किया।

यह राज्य, जिस राज्य के अन्दर 61 प्रतिशत वन भूमि है। श्रीमन् 34 लाख 66 हजार 152 हे0 भूमि वन भूमि है इस राज्य की और हमारी 25 प्रतिशत भूमि ऐसी है, जिसका कोई उपयोग नहीं होता और हमारे पास कृषि उपयोग की मात्र 14 प्रतिशत भूमि अर्थात् हमारे पास केवल 7 लाख 69 हजार 944 हे0 भूमि हमारे पास है, जिसका हम कृषि उपयोग करते हैं और इस सरकार की गलत नीतियों के कारण, गलत नियोजन के कारण और अदूरदर्शिता के कारण यह सभी कृषि उपयोग की भूमि को गैर कृषि उपयोग में परिवर्तित करते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार का सिडकुल का प्रकरण हमारे सम्मुख है। 10 हजार हे0 भूमि इन्होंने सिडकुल की स्थापना के लिए ली, वह कृषि भूमि थी, बहुत उपयोगी भूमि थी और उस 10 हजार हे0 भूमि पर मिट्टी डालने के लिए कृषि भूमि से 10 हजार हे0 भूमि से मिट्टी डाली गयी। 20 हजार हे0 भूमि एक झटके में कृषि भूमि बरबाद कर दी। यह अदूरदर्शी परिणाम है और उसके बाद देहरादून जिसकी बासमती प्रसिद्ध है, विश्व में प्रसिद्ध है।

माननीय डा0 इन्दिरा हृदयेश जी यहां पर बैठी हुई हैं, जब हम कनाडा गये थे, कनाडा में हमको बासमती, देहरादून की बासमती खिलायी गयी और वह दून की बासमती जो विश्व में प्रसिद्ध है और केवल सरकार की अदूरदर्शी नीतियों के कारण वह आज समाप्ति के कगार पर हैं इस विषय को लेकर के चूंकि इससे महत्वपूर्ण कोई विषय नहीं हो सकता। यह केवल देहरादून की भूमि अधिग्रहण के विषय से जुड़ा हुआ नहीं है। यह जुड़ा हुआ है राज्य की सरकार के नीतिगत उस विषय से जो अदूरदर्शी

परिणाम के कारण इस राज्य की जनता को आने वाले समय में भोगना पड़ेगा। इसलिए इस विषय को, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ आज कम से कम इस विषय को, 5 वर्ष व्यतीत होने जा रहे हैं एक प्रस्ताव तो आप स्वीकार कर लें। चूंकि इससे महत्वपूर्ण विषय और कोई हो ही नहीं सकता है इसलिए इसे चर्चा के लिये स्वीकार कर लें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अजय भट्ट जी, संक्षिप्त में अपने विचार रखें।

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं माननीय प्रकाश पंत जी से अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ और एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आखिर प्रदेश के एक पूर्व मुख्यमंत्री जी को अनशन पर बैठने की आवश्यकता क्यों हुई। मान्यवर, इतने गरीब लोग जिनके पास छत नहीं है, शाम का खाना नहीं है, जिनके पास रहने का ठिकाना नहीं है, कई फौजी और गरीब लोगों ने अपनी गाढ़ी कमाई से जो थोड़ी बहुत जमीन ली है उनको सरकार ने उजाड़ने का निर्णय ले लिया। आज उत्तरांचल को एक रेत का ढेर बनाने की साजिश की जा रही है। माननीय अध्यक्ष जी, अभी मेरी एक नियम 58 की सूचना को भी शायद आपने स्वीकार किया है, ऐसा मुझे पता लगा है तो उस समय भी मैं सदन को अवगत कराऊँगा कि किस तरह से फर्जी लोगों द्वारा यहां पर जमीन लेकर उन पर मकान बनाये जा रहे हैं और बिल्डर वहां पर रिहायशी मकान बनाने जा रहे हैं।

मान्यवर, यह सारी कृषि योग्य जमीन है। आज वहां पर सेक्शन चार की कार्यवाही कर दी गई है और आनन–फानन में सेक्शन 17 का नोटिस भी दे दिया गया है। भूमि की यदि तत्काल आवश्यकता हो तो ही सेक्शन 17 की नोटिस दी जाती है। हम यह जानना चाहते हैं कि तत्काल आवश्यकता क्या है? इनकी तत्काल आवश्यकता यह है कि वहां पर दुकानें बनानी हैं, रिहायशी मकान बनाने हैं और सरकारी दफ्तर बनाने हैं। देहरादून शहर में एम0डी0डी0ए0 द्वारा पहले ही कई एकड़ जमीन खरीदी गई है जिन पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। तो फिर आज आनन–फानन में किनकी दुकानें बाईपास पर सरकार बनवाना चाहती है? किन लोगों के लिए यहां पर रिहायशी मकान बनने हैं? सरकारी दफ्तरों की बात कही गई है तो देहरादून में पहले से ही सभी दफ्तर बने हुये हैं और वैसे भी यह अस्थाई राजधानी है, राजधानी चयन आयोग की रिपोर्ट अभी आयी नहीं है तो फिर एम0डी0डी0ए0 को क्यों इतनी जल्दबाजी है?

मान्यवर, मैं सदन में खुला आरोप लगाना चाहता हूँ कि सरकार की इसमें मिली भगत है, सरकार के लोग इसमें शामिल हैं। इन सबका पर्दाफाश होना चाहिए। आखिर इस प्रदेश में यह हो क्या रहा है? (हँसी)

मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण और कोई विषय हो ही नहीं सकता है। पांच साल में एक ऐसा विषय सामने आया है जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री अनिश्चित कालीन अनशन पर बैठे हैं आज से पहले कोई पूर्व मुख्यमंत्री अनशन पर ऐसे नहीं बैठे हैं और इस घोटाले का दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष–

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी, कृपया संक्षिप्त में अपने विचार रखें।

श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी एवं माननीय अजय भट्ट जी से मात्र एक शब्द से अपने आपको अलग कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बुजुर्ग शब्द का प्रयोग किया और मैं ऊर्जावान शब्द का प्रयोग करना चाहता हूँ। इस एक शब्द को छोड़कर बाकी से मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, माननीय स्वामी जी ने अपना अनिश्चितकालीन अनशन कल से प्रारम्भ किया है और इससे पूर्व 442 दिन से भूमि बचाओ संघर्ष समिति द्वारा लगातार कारगी चौक पर धरना दिया जा रहा है। आज इस समिति के धरने का 442वां दिन है। इतने लम्बे समय से इस क्षेत्र के लोग संघर्ष कर रहे हैं। मान्यवर, अब जबकि चुनाव सामने आने वाले हैं, (व्यवधान) चुनावी लाभ लेने के लिए सरकार के एक मंत्री और विधान सभा के माननीय सदस्य जनता को बरगलाने के लिए प्रेस कांफ्रेंस करते हैं और सचिव, नगर विकास और एम0डी0डी0ए0 के अधिकारी उसका खण्डन करते हैं कि ऐसा नहीं हुआ है। इस वजह से आज देहरादून की जनता आक्रोशित है, आन्दोलित है। जनता का सरकार के ऊपर से पूरी तरह से विश्वास उठ गया है। सरकार कभी कुछ घोषणा करती है, कभी कुछ घोषणा करती है और अन्त में देखें तो कुछ नहीं करती है।

मान्यवर, इसी सदन में भूमि अधिग्रहण के विषय पर चर्चा हुई है। मेरे प्रश्न पर माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट जवाब दिया है। मैंने पूछा था कि जो कृषि भूमि है, क्या उसको अधिग्रहण से मुक्त रखेंगे? माननीय मंत्री जी का जवाब था कि अगर वे कृषि करना चाहेंगे तो उसे मुक्त रखेंगे। इसके साथ ही माननीय मंत्री जी ने यह भी कहा कि हम भवनों को अधिग्रहीत नहीं करेंगे। मैं ढाई सौ लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। मान्यवर, मेरे पास सारे डाक्यूमेंट हैं, अगर चाहेंगे तो मैं उपलब्ध करा दूँगा। ढाई सौ लोगों के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। मेरे साथ गढ़वाली कालोनी के वे 35 परिवार भी थे, जिनको विस्थापित किया गया है।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी घर को अधिग्रहीत नहीं करेंगे। लेकिन वहां पर सेक्शन 12 की नोटिस जारी हो गयी है। उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दी गयी है कि फलां–फलां तारीख को आईये और अपना मुआवजा ले जाइए। जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अधिग्रहण की कार्यवाही नहीं करेंगे।

इस प्रकार जनता के साथ छलावा किया जा रहा है। इससे तो राजनेताओं के ऊपर प्रश्नचिन्ह खड़ा हो गया है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। यह जो प्रकरण चल रहा है, मैं इस पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ। माननीय मंत्री जी यहां पर स्पष्ट बताएं कि सरकार इस पर करना क्या चाहती है? माननीय मंत्री जी तथा माननीय सदस्य द्वारा जो बात कही गयी क्या ऐसा कोई निर्णय कैबिनेट द्वारा लिया गया है? यदि कोई निर्णय लिया गया है, तो वह क्या है? उसे यहां पर रखा जाए। मैं आज की शेष कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की मांग करता हूँ।

श्री हरबंस कपूर–

मान्यवर, माननीय प्रकाश पंत जी, माननीय अजय भट्ट जी तथा माननीय त्रिवेन्द्र सिंह रावत जी द्वारा जो विचार यहां पर रखे गये हैं, मैं उनसे अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ। मान्यवर, एक ओर तो एम0डी0डी0ए0 के पास साधन नहीं हैं और उसने करोड़ों रुपया हुडको और अन्य वित्तीय एजेंसियों से ऋण लिया है। स्थिति यह है कि उस ऋण का ब्याज देने के लिए भी प्राधिकरण के पास पैसा नहीं है। ऐसे ऊल–जलूल निर्णय ले कर प्राधिकरण कृषि योग्य भूमि, पूर्व सैनिकों की भूमि, छोटे–छोटे कर्मचारियों की भूमि, छोटे–छोटे काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत कर रहा है, उससे जनता में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। आप सिटी प्लान की घोषणा करते हैं, घण्टाघर से ओंकार रोड तक, वहां पर 20–25 हजार की आबादी है, उन्हें उजाड़कर आप क्या करना चाहते हैं, किसी को पता नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी श्री नित्यानन्द स्वामी जी के पास अनशन में बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। हम समय–समय पर सरकार और शासन से अनुरोध करते रहे हैं कि इस पर विचार करें।

मान्यवर, इस पर विचार किया जाए। ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जिससे कि यहाँ पर अफरा–तफरी मच जाए। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि इससे अधिक अविलम्बनीय लोकमहत्व का प्रश्न और कोई नहीं हो सकता कृपा करके इस सूचना को ग्राहयता के रूप में स्वीकार करते हुए इस पर चर्चा कराई जाए।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, आपने नियमों का निलम्बन करते हुए मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मान्यवर, 440 दिन तक भूमि बचाओ संघर्ष समिति संघर्ष करती रही और जब माननीय श्री स्वामी जी ने देखा कि 440 दिन पर भी सरकार कोई कार्यवाही नहीं कर रही है तो उन्होंने 9 तारीख को आमरण अनशन पर बैठने का निश्चय किया। एक पूर्व मुख्यमंत्री गरीबों के हितों के लिए संघर्ष कर रहा है। यह सरकार गरीबों की नहीं सुन रही है। मान्यवर, वह भूमि टिहरी विस्थापितों की है और शिक्षक कर्मचारियों द्वारा गाढ़ी कमाई से खरीदे गये पाँच–पाँच बीसवा के प्लॉट हैं सरकार उनको बेघर कर रही है जब कि सरकार का काम लोगों को बसाने का होता है।

विचारणीय विषय यह है कि यदि यह जमीन किसी विशेष प्रयोजन के लिए ली जाती तो उत्तरांचल की जनता जो राष्ट्र के लिए सदैव समर्पित रही है कभी इस तरह का संघर्ष नहीं करती। किन्तु यह जमीन तो बड़ी दुकानों के लिए और बड़े–बड़े भवनों के लिए ली जा रही है। यह जमीन सरकार द्वारा किसी लोक प्रयोजन के लिए नहीं ली जा रही है। इसलिए इसका अधिग्रहण करना सही नहीं है। मान्यवर, देहरादून एक सुन्दर नगर है इसकी सुन्दरता की पहचान देश में ही नहीं विदेशों में भी है किन्तु अब इसका स्वरूप बदलता जा रहा है। यह शहर कुरूप होता जा रहा है। यहाँ की लीची देश में ही नहीं विदेशों में लोकप्रिय थी। लीची का उत्पादन यहाँ पर बड़ी मात्रा में होता है किन्तु आज हमारे लीची के बाग काटे जा रहे हैं। इस पर रोक लगनी चाहिए।

मान्यवर, देहरादून भूकम्पीय क्षेत्र है। यदि यहाँ पर बड़ी–बड़ी बिल्डिगें बनेगी तो इसका स्वरूप बदल जायेगा। वैसे भी राजधानी बनने से चक्का जाम आए दिन होता है इसका आभास माननीय मंत्रीगणों को विशेषकर होगा। यदि यहाँ पर बड़ी–बड़ी बिल्डिगें और बड़ी दुकानें बनेंगी तो बहुत ही ज्यादा चक्का जाम की स्थिति पैदा हो जायेगी। देहरादून में जो बासमती का उत्पादन होता है उसका उत्पादन बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हम विश्व को यहाँ की उत्पादित बासमती खिलायें, तो अच्छा रहेगा।

माननीय वन मंत्री जी ने जैसा कहा कि प्रदूषण बढ़ रहा है। मान्यवर, प्रदूषण और बढ़ जायेगा यदि आप भूमि अधिग्रहण करते रहेंगे और यहाँ पर बड़ी–बड़ी बिल्डिगें बनती रहेंगी और जनता इस प्रदूषण से परेशान होती रहेगी। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह तात्कालिक है और तात्कालिक इसलिए है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी कारगी चौक पर धरना स्थल पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और जनता जो है वह 440 दिन से धरने पर बैठी हुई है। सरकार उनकी समस्याओं को नहीं सुन रही है। इससे अधिक चिन्ता की बात और क्या हो सकती है। अविलम्बनीय इसलिए है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी 82 वर्ष के हैं और इस उम्र में उनको कुछ भी हो सकता है। इसलिए तत्काल इस पर निर्णय होना चाहिए। लोक महत्व का इसलिए है कि यह गरीब जनता की गाढ़ी कमाई के प्लॉट हैं जिनका अधिग्रहण किया जा रहा है।

मान्यवर, परिवहन मंत्री जी हँस रहे हैं, मुस्करा रहे हैं। वे भाई–बहन जिन्होंने गाढ़ी कमाई से यह जमीन ली है मैं चाहूँगा कि सरकार को उन पर दया करनी चाहिए। मान्यवर, सरकार गरीब जनता के हितों की रक्षा के लिए बनाई जाती है। मेरी सरकार को नेक राय है कि जो जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया चल रही है उसको तत्काल निरस्त किया जाए। जिनकी जमीन अधिग्रहीत की गई है उनको वापस कर दी जाए। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे सुना मैं इसके लिए आपका आभारी हूँ।

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय सदस्यों ने हमारे प्रथम मुख्यमंत्री माननीय स्वामी जी के स्वास्थ्य के बारे में चिन्ता व्यक्त की। सरकार को भी उनके स्वास्थ्य की

चिन्ता है निश्चित रूप से हमें इस बात का अफसोस है कि प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आमरण अनशन पर बैठे हैं। वे वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में आते हैं। मान्यवर, वरिष्ठ नागरिकों की श्रेणी में आता हो, वे भी चुनाव और विधान सभा के समय पर राजनीतिक निर्णय ले यह तो चिन्ता का विषय है। मान्यवर, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित सूचना में 24 गांवों का उल्लेख किया गया है, जबकि हमने 30 गांवों की 639 हे0 भूमि के सम्बन्ध में कार्यवाही की है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में जो समिति बनी थी उसमें मेरे अतिरिक्त श्री नव प्रभात, श्री दिनेश अग्रवाल भी सदस्य थे और बाद में इसमें श्री प्रीतम सिंह जी को भी सम्मिलित किया गया था। मान्यवर, कैबिनेट की जो बैठक हुई है, उसमें हमने इस पर बड़ी गम्भीरता से विचार-विमर्श किया और उसी के बाद निर्णय लिया है।

मान्यवर, जो आपकी चिन्ता है, वह हमारी भी है। एम0डी0डी0ए0 ने बहुत जल्दबाजी में बहुत बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण किया है। मान्यवर, जो 637.34 हे0 क्षेत्र में अधिग्रहण की कार्यवाही की गयी थी, इस सम्बन्ध में समिति ने तीन-चार महीने तक अधिकारियों से बैठकें की। मान्यवर, इसमें स्थिति यह है कि जो 06 गांवों की भूमि है, जिनका कुल रकवा 193.14 हे0 है, के विषय में अधिग्रहण की सभी औपचारिकतायें एवं कार्यवाहियां पूर्ण की जा चुकी हैं तथा राजस्व रिकार्ड में यह भूमि मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण में निहित हो चुकी है। इस सम्बन्ध में समिति ने निर्णय लिया कि एवार्ड घोषित भूमि में कहीं भी मकानों के समूह/आबादी/क्लस्टर ऑफ हाउसेज को अधिग्रहित नहीं किया जायेगा। भूमि अधिग्रहण करने के परिणाम स्वरूप कोई भी व्यक्ति भूमिहीन की श्रेणी में न आ पाये। मान्यवर, प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति जिसका पैसा जमा हो चुका है। जो 193.14 हे0 जमीन अधिग्रहण की है, इसमें यह शर्त लगायी है कि इस जमीन का प्रयोग व्यावसायिक गतिविधि के लिए न किया जाय। जिस कार्य के लिए यह जमीन अधिग्रहीत की गयी है, उसी रूप में इसका प्रयोग किया जाय। राजस्व सरकार व केन्द्रीय सरकार के विभागीय कार्यों हेतु ही प्रयोग किया जायेगा। मान्यवर, इसमें हमने यह भी किया है कि जो लोग भूमिहीन हो रहे हैं, उनको कम्पनसेट की व्यवस्था की है। मान्यवर, समिति द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि देहरादून में कहीं भी कृषि भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया चाहे वह किसी भी विभाग या प्राधिकरण द्वारा की जा रही हो, को निरस्त कर दिया जाय।

मान्यवर, एम0डी0डी0ए0 का कार्य नियोजन करना है, जिन काश्तकारों की भूमि अधिग्रहीत की गयी है, उनको व्यवसायिक रेट की व्यवस्था की है। मान्यवर, हमने 24 गांवों की 440.53 हे0 भूमि को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है। यह कार्य किसानों के हित को ध्यान में रखकर ही किया गया है। मान्यवर, हमने इसके लिए यह व्यवस्था भी की है कि 10 साल तक कृषि भूमि पर कृषि कार्य ही किया जाय, इसका प्रयोग दूसरे कार्यों में न किया जाय। मान्यवर, प्राधिकरण द्वारा जो लोन लिया गया है, उसको वापस किया जायेगा और इस पर जो ब्याज होगा, इसका वहन सरकार करेगी। मान्यवर, इसमें हमने यह व्यवस्था भी की है कि यदि किसी भी जनपद में जमीन अधिग्रहीत की जाती है तो उसकी पूर्व स्वीकृति कैबिनेट से लेनी होगी।

मान्यवर, कैबिनेट मंजूरी देने के बाद प्रक्रिया शुरू करेंगे, यह महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया है और उसके लिए प्रस्ताव भी मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के लिए भेजकर और न्यूनतम अधिग्रहण की कार्यवाही शुरू की जाए। मान्यवर, यदि जमीन लेनी है तो बड़े लोगों की जमीन लेंगे जिसका एक मालिक हो, भविष्य में यदि प्रशासन को या प्राधिकरण को किसी शासकीय, सार्वजनिक तथा व्यवसायिक योजना के लिए भूमि की आवश्यकता पड़े तो टी स्टेट देहरादून, हाउसेस स्टेट, अंगोलिया हाउस स्टेट, गोल्डेन फॉरेस्ट की एक हजार एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि इससे आम जनता प्रभावित नहीं होगी, यह सुझाव दिया है। इस तरह से मैं समझता हूँ कि हमारी सरकार ने सोच समझकर इतना अच्छा निर्णय लिया है जो जनहित में लिया है।

मान्यवर, माननीय स्वामी जी 82 साल के हैं, वे बुजुर्ग हैं और उनका उद्देश्य जो था उस उद्देश्य से पहले हमने निर्णय ले किया, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको वापस ले लें।

श्री मातबर सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी का सम्मान करता हूँ, मगर सरकार का बयान समाचार पत्रों में कुछ और होता है, हमने पेपर में सुना है कि भूमि का अधिग्रहण रद्द और दूसरा आपने बयान दिया कि भूमि अधिग्रहण पर सरकार का विराम और यहाँ पर आप दूसरी बात कहते हैं, ऐसा लगता है कि यह सरकार गरीब विरोधी है, यह गरीबों की रक्षा नहीं करती है, यह सरकार किसान विरोधी है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदेयश)–

मान्यवर, मेरी आपत्ति है, सदन में जो बयान दिया जाता है, शासन की ओर से आथेंटिक बयान माना जाता है। मान्यवर, जो बयान आ रहा है उसको आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है।

श्री प्रकाश पंत–

माननीय अध्यक्ष जी, यह बयान सीधे–सीधे सरकार के प्रति अदूरदर्शी है, जिसका उल्लेख मैंने ग्राहयता पर किया था। सरकार ने कहा कि हम योजना बना रहे हैं, राज्य की टी स्टेट और अन्य इसी प्रकार की जमीन के अधिग्रहण के सम्बन्धों में इस राज्य के अन्तर्गत 3 लाख 99 हजार 28 हेक्टेयर भूमि का कोई प्रयोग नहीं है, इस भूमि के अधिग्रहण की बात करते तो समझ में आता।

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

मान्यवर, उन्होंने अपनी बात कह दी और शासन की ओर से उत्तर आ जायेगा।

श्री प्रकाश पंत–

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है, इसलिए हम इस सदन का बहिष्कार करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य सदन का परित्याग कर पुनः अपने–अपने स्थान पर आ गये।)

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय सदस्य और संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् इस सूचना को अस्वीकार करता हूँ।

(श्री पुष्पेश त्रिपाठी का नाम बुलाये जाने पर सदन में उपस्थित नहीं थे।)

श्री अजय भट्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपने नियम 56 जो अब नियम 58 हो चुका है, विधान सभा की नई प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली आज ही यहाँ पर अस्तित्व में आई है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मान्यवर, एक विषय पर अभी यहाँ पर चर्चा हुई थी यह वह तो नहीं है उससे हटकर है। यहाँ पर किस तरह का षड़यंत्र चल रहा है इस सम्बन्ध में एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मान्यवर, जनपद नैनीताल और अल्मोड़ा में कुछ लोगों ने मिलकर ऐसी फर्जी कम्पनियाँ बना ली है। जो कम्पनियों के नाम पर औने–पौने भाव पर लोगों से जमीन खरीदी जा रही है, इसको खरीदने के बाद उसके ऊपर बड़े–बड़े बिल्डर निर्माण कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, विभिन्न नामों से ये कम्पनियाँ बनायी गई हैं। इन कम्पनियों द्वारा सीलिंग एक्ट से बचने के लिए यह किया जा रहा है। मान्यवर, ये कम्पनियाँ एक ही व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत हैं। ये कम्पनियाँ हैं सेन्ट्रल हिमालयन लैण्ड डेवलपमेन्ट कम्पनी, दूसरी है सेन्ट्रल हिमालयन लैण्ड स्केप्स कम्पनी लि0, तीसरी ट्रेवल शूटर्स सर्विसेज लि0, चौथी सेन्ट्रल हिमालयन लैण्ड स्टेट्स कम्पनी लि0 व जी0एस0 राणा एण्ड कम्पनी ये सारी कम्पनियाँ एक ही व्यक्ति के नाम से बनायी गई हैं जिन्होंने हजारों एकड़ भूमि नैनीताल और अल्मोड़ा में खरीद ली है।

मान्यवर, जब कि उत्तरांचल में 6 इंच पेड़ काट लेंगे तो आप अरेस्ट हो सकते है। लेकिन इनके द्वारा एक पेड़ नहीं हजारों पेड़ काट दिये हैं, आज तक किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। मान्यवर, जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा चीफ सेक्रेट्री को इनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखा है। ये लोग हजारों रुपये की रजिस्ट्री से बचने का प्रयास कर रहे हैं। इससे केवल सरकार के राजस्व की हानि नहीं हो रही है बल्कि पेड़ काटने से पर्यावरण को भी नुकसान पहुँचा रहे हैं। मान्यवर, अगर कोई गरीब आदमी अपने जलाने के लिए पेड़ काटता है तो उसे जेल में जाना पड़ता है। इसमें सरकार की मिलीभगत है। इसमें जिलाधिकारी चीफ सेक्रेट्री को लिख रहे हैं। उनको खुद एफ0आई0आर0 दर्ज कर देनी चाहिए थी। ये लोग सरकार को

चूना लगा रहे हैं और रजिस्ट्री का पैसा बचा रहे हैं। उन्हें पूरी छूट दी जा रही है। अतः सदन में मंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए कि यदि कल को उत्तरांचल में कोई पेड़ काटेगा तो उस पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा बल्कि खाली जुर्माना होगा क्योंकि गरीब को जेल एवं कम्पनियों को खाली जुर्माना यह दो प्रकार के कानून उत्तरांचल में नहीं चलेंगे।

मान्यवर, मैं निवेदन करता हूँ कि इस उत्तरांचल को बचाने का कार्य पूरे सदन को कार्य है और आप हमारे संरक्षक हैं इससे महत्वपूर्ण विषय और कोई हो ही नहीं सकता है। अतः इस अविलम्बनीय एवं तात्कालिक लोक महत्व के विषय पर सदन की आज की कार्यवाही को रोककर चर्चा होनी चाहिए।

वन एवं पर्यावरण मंत्री (श्री नव प्रभात)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो नोटिस दिया है उस नोटिस में दो तीन विषय अन्तनिहित हैं। पहला विषय अन्तर्निहित है कि उन्होंने सीलिंग प्राविधानों का उल्लंघन किया है। दूसरा है वृक्षों को पहुँचाई गई क्षति, इस विषय में अवगत कराना चाहता हूँ कि 01 मई, 2005 को भवाली रेंज के अन्तर्गत 65 विभिन्न प्रजातियों के वृक्ष काटे गये थे जो 0.10 और 10 से 20 सेन्टीमीटर श्रेणी के थे।

मान्यवर, इसमें जांच पूरी कर ली गयी है और जुर्माने की कार्यवाही चल रही हैं इसके बाद दिनांक 22–08–2006 को इन्होंने 9 वृक्षों को हानि पहुंचाई है। अब तक 15 हजार रुपया प्रतिकर वसूल किया जा चुका है। यह स्थिति वन विभाग की है। जिलाधिकारी नैनीताल ने इस विषय में 2 पत्र प्रमुख सचिव, राजस्व को लिखे हैं जिसमें उन्होंने इन सभी कम्पनियों का, जिसका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, उनका पूरा विवरण दिया है। पहले पत्र में उन्होंने यह संस्तुति की है कि इनके भूमि क्रय करने की अनुमति को रद्द कर दिया जाये और दूसरे पत्र में सीलिंग एक्ट के सम्बन्ध में सन्दर्भित किया। ये शासन के विचाराधीन है। अगर इसमें कहीं भी सीलिंग एक्ट का उल्लंघन हुआ होगा तो अवश्य ही सख्त कार्यवाही की जायेगी। पेड़ों के बारे में चूँकि आपने दोबारा गम्भीरता से संज्ञान लिया है। मैं सभी स्थलों की जांच कराऊंगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी।

श्री अजय भट्ट–

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जिलाधिकारी, नैनीताल ने प्रमुख सचिव, राजस्व को लिखे पत्र में कहा है कि जो भूमि उन्होंने ली है, उसको खारिज करने की सिफारिश की है। इस पर क्या कार्यवाही हुई। प्रमुख सचिव, राजस्व भी यहीं कहीं सदन में होंगे, एक ओर हम इ–गवर्नेंस की बात करते हैं। मंत्री जी का उत्तर मेरी समझ में नहीं आया। इसमें एफ0आई0आर0 तक नहीं हुई है सिर्फ जुर्माना किया गया है। एक तरफ यदि गरीब व्यक्ति छोटा सा पेड़ भी काटता है तो उस पर 25 फॉरेस्ट एक्ट एवं 379 आई0पी0सी0 में केस दर्ज हो जाता है। दूसरी ओर बड़े लोगों को

सरकार पूरा संरक्षण देती है, हजारों पेड़ काटने वालों को खाली जुर्माना करके छोड़ देती है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है, आखिर वो कौन व्यक्ति हैं, किसका दबाव है, किसकी पावर काम कर रही है?

श्री नव प्रभात–

मान्यवर, इसमें एस–2 केस कटा है। जिलाधिकारी, नैनीताल ने इसके अतिरिक्त सीलिंग के सम्बन्ध में जो पत्र भेजा है, उसे मैं पढ़ देता हूँ उसमें लिखा है कि "इसके अतिरिक्त सीलिंग की कार्यवाही करने तथा सेन्ट्रल हिमालय लैण्ड स्टेट्स कम्पनी को दी गयी अनुमति को निरस्त करने की कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को मेरे द्वारा पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है।" मान्यवर, इसकी कार्यवाही तो जिलाधिकारी महोदय ने स्वयं ही कर दी है।

श्री अजय भट्ट–

मान्यवर, यह गम्भीर मामला है। यदि गरीब व्यक्ति एक पेड़ भी काटता है तो उसे जेल जाना पड़ता है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 9–10 पेड़ काटे गये हैं जबकि इससे ज्यादा पेड़ काटे गये हैं। सदन में इसका खुलासा होना चाहिए कि भविष्य में यदि कोई उत्तरांचल में पेड़ काटेगा तो उसमें क्या कार्यवाही होगी? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य कर रहा हूँ।

श्री पुष्पेश त्रिपाठी–

मान्यवर, विकासखण्ड चौखुटिया के कुछ विद्यालय जो राज्य बनने के पहले से ही अशासकीय मान्यता के रूप में चल रहे थे। राज्य बनने के बाद, सबको उम्मीद थी कि इसके पूर्व में कई विद्यालयों को अनुदान दिया गया और जो पुराने विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं उनको भी अनुदान मिलेगा। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा अभी तक कोई मानक तय नहीं किया गया है कि किसे पहले अनुदान दिया जाये और किसे बाद में, जिसके फलस्वरूप अव्यवहारिक रूप से, वो विद्यालय चाहे 2001 में खुले हों चाहे 2004 में खुले हों। उनको अनुदान सूची में ले लिया गया, उससे पूर्व कई विद्यालयों स्वामी विवेकानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिमलखेत, लाल बहादुर शास्त्री उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नागाड़ तथा जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, छानागोलू, जो कि द्वाराहाट विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, यह विद्यालय छोड़ दिये गये। जिसके फलस्वरूप जनता आक्रोशित हुई और उसकी परिणति आन्दोलन के रूप में आज हमारे सामने है। मान्यवर, इन विद्यालयों को अनुदान देने की मांग को लेकर आज 80 वर्ष के बुजुर्ग श्याम सिंह परसारा अन्न–जल त्याग कर धरने पर बैठे हैं। आज उनके आन्दोलन को 57 दिन व्यतीत हो

गये हैं लेकिन सरकार द्वारा उनकी ओर गम्भीरता से ध्यान नहीं दिया गया है। मान्यवर, यह विषय तात्कालिक है और लोक महत्व का है, अतः इस प्रश्न पर में सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूँ।

*शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, अशासकीय विद्यालय जहां पर भी जनता ने खोले हैं, इस तरह की स्थिति इसलिए भी आ जाती है कि जनता द्वारा अशासकीय विद्यालय खोले जाते हैं और जब यह मान्यता लेते हैं तो उस समय वित्त विहीन मान्यता लेते हैं। कभी तो लिखकर भी दे देते हैं कि हम भविष्य में वित्त की मांग नहीं करेंगे। लेकिन बाद में यह अनुदान के लिए आवेदन करते हैं और सरकार के गले पड़ जाते हैं। जहां तक विद्यालयों के उच्चीकरण की बात है तो अभी 912 विद्यालय उच्चीकृत हुये हैं और हम तो यही नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि कहां पर और विद्यालय खोले जायं। जहां तक प्रान्तीयकरण की बात है तो उत्तर प्रदेश के समय में जब माननीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी वहां के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने विद्यालयों के प्रान्तीयकरण को प्रारम्भ किया था और कहा था कि अशासकीय विद्यालयों की प्रबन्धन समिति प्रान्तीयकरण के लिए आवेदन कर सकती है। उस समय पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी प्राइवेट स्कूल थे वह सब सरकारी इण्टर कॉलेज बन गये थे। पूर्व में सरकारों द्वारा इस योजना को बन्द कर दिया गया था। लेकिन हमारी सरकार ने इसे भी शुरू करवाया। यह समझ में नहीं आता है कि लोग इतने कार्य करने के बाद भी हड़ताल पर क्यों बैठ रहे हैं? यदि वह लोग हमारे पास आते तो यह स्थिति नहीं आती। अभी तक की यह स्थिति है कि जूनियर हाई स्कूल जो कुल अशासकीय विद्यालय 1286 थे उनमें से 262 को अनुदान दे चुके हैं। यह 1024 गैर अनुदानित में हैं और यह वह विद्यालय हैं जिनके द्वारा कहा जाता है कि हम वित्त की मांग नहीं करेंगे। लेकिन धीरे-धीरे यह मांग करते हैं और सरकार मान जाती है।

अभी हमारी माननीय मंत्रिमण्डल की उप समिति की बैठक हुई थी जिसमें तीन इण्टर कॉलेजों, 42 हाई स्कूलों, 50 जूनियर हाई स्कूलों और 5 संस्कृत विद्यालयों, कुल 100 विद्यालयों के आवेदन अनुदान स्वीकृत करने के लिए आये थे, को मान लिया है। 100 विद्यालयों को हम पिछले वर्ष ही अनुदान सूची में सम्मिलित कर चुके हैं। माननीय त्रिपाठी जी, हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप उन लोगों को धरने पर न बिठायें। स्वामी विवेकानन्द उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिमलखेत को वित्तीय अनुदान दिये जाने के लिए माननीय मंत्रिमण्डल की उप समिति ने निर्णय ले लिया है। इसे अनुदान सूची में बहुत शीघ्र ही सम्मिलित किया जायेगा। उच्चीकरण और प्रान्तीयकरण को लेकर हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। यह ठीक परम्परा नहीं है कि लोग ऐसी मांगों के लिए हड़ताल पर बैठ जायं। माननीय त्रिपाठी जी, जो हमारे बुजुर्ग व्यक्ति अनशन पर बैठे हैं आप उन्हें उठा दीजिये। यह मेरा अनुरोध है। (व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय पुष्पेश जी तथा माननीय शिक्षा मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूँ।

(माननीय अध्यक्ष जी द्वारा माननीय सदस्य श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं थीं।)

नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 53 के अन्तर्गत श्री प्रकाश पंत, श्री मातबर सिंह कण्डारी, श्री महेन्द्र प्रसाद भट्ट, श्री विशन सिंह चुफाल, श्री हरबंस कपूर तथा डा0 नारायण सिंह जन्तवाल की कुल 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इनमें से लघु सिंचाई विभाग में सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी करने के सम्बन्ध में डा0 नारायण सिंह जन्तवाल की सूचना को नियम 53 के अन्तर्गत वक्तव्य के लिए तथा देहरादून के इन्दर रोड रिस्पना पुल के बायीं ओर नगर–निगम द्वारा उपलब्ध भूमि पर उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम द्वारा उच्च जलाशय का निर्माण न कर पाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में मा0 सदस्य श्री हरबंस कपूर की सूचना को नियम 53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूँ। शेष सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए।

(इसके बाद सदन की कार्यवाही 2 बजकर 08 मिनट पर अगले दिन 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून :

दिनाँक : 10 अक्टूबर, 2006

महेश चन्द्र,

सचिव,

विधान सभा, उत्तरांचल।

पी0एस0यू0(आर0ई0) 14 वि0स0 / 688–17–03–2007–200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / रीजियो)।